उत्तराखण्ड विधान सभा

उत्तराखण्ड विधान सभा की कार्यसूची

बुधवार, 08 चैत्र, शक संवत्, 1940

(दिनांक : 21 मार्च, 2018)

समय : 11:00 बजे पूर्वाह्न

1. अल्प सूचित प्रश्न (देखिए नत्थी **"क"**)।

2. प्रश्न (देखिए नत्थी **"ख"**)

3. निधन के निदेश।

4. मुख्यमंत्री, केन्द्रीय विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 104(4) के अन्तर्गत उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग के वर्ष 2016-17 का वार्षिक लेखा विवरण को सदन के पटल पर रखेंगे।

5. मुख्यमंत्री, केन्द्रीय विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 105 के अधीन उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग के वित्तीय वर्ष 2016-17 की वार्षिक रिपोर्ट को सदन के पटल पर रखेंगे।

6. मुख्यमंत्री, केन्द्रीय विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 182 के अधीन उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग के विनियमों का संकलन को सदन के पटल पर रखेंगे।

7. मुख्यमंत्री ''जल विद्युत निगम के वित्तीय वर्ष 2005-06 से वित्तीय वर्ष 2015-16 तक के वार्षिक लेखा प्रतिवेदन को सदन के पटल पर रखेंगे।

8. मुख्यमंत्री ''वर्ष 2017-18 का आर्थिक सर्वेक्षण'' सदन के पटल पर रखेंगे।

9. सचिव, विधान सभा घोषित करेंगे किः-

   (1) उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण विधेयक 2017 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 08 दिसम्बर, 2017 को पारित किया गया था, पर माननीय राज्यपाल की अनुमति दिनांक 07 जनवरी, 2018 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2018 का प्रथम अधिनियम बन गया।

   (2) उत्तराखण्ड आवासीय विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक 2017 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 07 दिसम्बर, 2017 को पारित किया गया था, पर माननीय राज्यपाल की अनुमति दिनांक 03 जनवरी, 2018 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2018 का द्वितीय अधिनियम बन गया।

(3) उत्तराखण्ड दुकान और स्थापन (रोजगार विनियम और सेवा-शर्त) विधेयक, 2017 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 08 दिसम्बर, 2017 को पारित किया गया था, पर माननीय राज्यपाल की अनुमति दिनांक 03 जनवरी, 2018 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2018 का तृतीय अधिनियम बन गया।

(4) उत्तराखण्ड आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान) विधेयक, 2017 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 08 दिसम्बर, 2017 को पारित किया गया था, पर माननीय राज्यपाल की अनुमति दिनांक 03 जनवरी, 2018 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2018 का चतुर्थ अधिनियम बन गया।

(5) उत्तराखण्ड चलचित्र (विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2017 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 08 दिसम्बर, 2017 को पारित किया गया था, पर माननीय राज्यपाल की अनुमति दिनांक 03 जनवरी, 2017 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2018 का पाचवां अधिनियम बन गया।

(6) सराय अधिनियम (निरसन) विधेयक, 2017 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 08 दिसम्बर, 2017 को पारित किया गया था, पर माननीय राज्यपाल की अनुमति दिनांक 03 जनवरी, 2018 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2018 का छठा अधिनियम बन गया।

(7) उत्तराखण्ड मदरसा शिक्षा परिषद (संशोधन) विधेयक, 2017 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 08 दिसम्बर, 2017 को पारित किया गया था, पर माननीय राज्यपाल की अनुमति दिनांक 05 जनवरी, 2018 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2018 का सातवां अधिनियम बन गया।

(8) उत्तराखण्ड (उ0प्र0 संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002) (संशोधन) विधेयक, 2017 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 08 दिसम्बर, 2017 को पारित किया गया था, पर माननीय राज्यपाल की अनुमति दिनांक 05 जनवरी, 2018 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2018 का आठवां अधिनियम बन गया।

(9) उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जमीदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (अनुकुलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001) (संशोधन) विधेयक, 2017 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 08 दिसम्बर, 2017 को पारित किया गया था, पर माननीय राज्यपाल की अनुमति दिनांक 05 जनवरी, 2018 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2018 का नवां अधिनियम बन गया।

(10) उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959) (संशोधन) विधेयक, 2017 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 08 दिसम्बर, 2017 को पारित किया गया था, पर माननीय राज्यपाल की अनुमति दिनांक 03 जनवरी, 2018 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2018 का दसवां अधिनियम बन गया।

(11) उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2017 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 08 दिसम्बर, 2017 को पारित किया गया था, पर माननीय राज्यपाल की अनुमति दिनांक 12जनवरी, 2018 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2018 का ग्यारहवां अधिनियम बन गया।

(12) सरदार भगवान सिंह विश्वविद्यालय विधेयक 2016 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 08 दिसम्बर, 2017 को पारित किया गया था, पर माननीय राज्यपाल की अनुमति दिनांक 18 जनवरी, 2018 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2018 का बारहवां अधिनियम बन गया।

10. सदस्यों की गिरफ्तारी, निरोध व रिहाई की सूचनायें, यदि कोई हों।

11. श्री गणेश जोशी, सदस्य, विधान सभा, ''जनपद देहरादून के ग्राम-पंचायत सेरागांव के अन्तर्गत रा0प्रा0वि0 चौकी चुंगी चामासारी के क्षतिग्रस्त भवन के निर्माण के सम्बन्ध में'' श्री कृपाल जवाड़ी रतन, ग्राम-सेरागांव, पो0- सहस्त्रधारा, जनपद देहरादून एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।

12. श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी, सदस्य, विधान सभा, ''जनपद चमोली के विकासखण्ड कर्णप्रयाग में पी0एम0जी0एस0वाई0 के तहत चूला-गबनी मोटर मार्ग निर्माण कार्य में विभाग व ठेकेदार द्वारा अनियमितता के सम्बन्ध में" श्रीमती जसोदा देवी, अध्यक्ष महिला मंगल दल चुला (चमोली) जिला चमोली एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।

13. श्री राम सिंह कैड़ा, सदस्य, विधान सभा, ''जनपद नैनीताल के विधान सभा क्षेत्र भीमताल के ओखलकाण्डा ब्लाक के पतलोट स्थित टेलीफोन टावर में 3 जी0 सेवा प्रारम्भ किये जाने के सम्बन्ध में" श्री रघुवीर सिंह, पुत्र बीर सिंह, ग्राम ल्वाड़ (पतलोट) एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।

14. श्री राम सिंह कैड़ा, सदस्य, विधान सभा, ''जनपद नैनीताल विधान सभा क्षेत्र भीमताल के रामगढ़ ब्लाक के सतबुंगा (कपुवा) पशु अस्पताल के स्टाफ के अभाव के सम्बन्ध में" श्री गणेश गौड़ पुत्र बच्ची सिंह, ग्राम सतबुंगा एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।

15. श्री राम सिंह कैड़ा, सदस्य, विधान सभा, ''जनपद नैनीताल विधान सभा क्षेत्र भीमताल के ग्राम सभा ककोड़ के ककोड़ गाजा में अनुसूचित तोक से मेवाड़ी गाजा की ओर सिंचाई गूल व टैंक स्वीकृति के सम्बन्ध में" श्री डुंगर सिंह पुत्र हर सिंह, ग्राम सभा ककोड़ एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।

16. श्री राम सिंह कैड़ा, सदस्य, विधान सभा, ''जनपद नैनीताल विधान सभा क्षेत्र भीमताल के विकास खण्ड ओखलकाण्डा के ककोड़ में पशु अस्पताल के सम्बन्ध में" श्री डिकर सिंह पुत्र रूप सिंह, ग्राम सभा ककोड़ एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।

17. श्री राम सिंह कैड़ा, सदस्य, विधान सभा, ''जनपद नैनीताल विधान सभा क्षेत्र भीमताल के अन्तर्गत ब्लाक ओखलकाण्डा के ग्राम तल्ला अमजड़ में प्रा0 पाठशाला के उच्चीकरण के सम्बन्ध में" श्री प्रकाश सिंह पुत्र लक्षमण सिंह, ग्राम अमजद एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।

18. श्री राम सिंह कैड़ा, सदस्य, विधान सभा, ''जनपद नैनीताल विधान सभा क्षेत्र भीमताल के अन्तर्गत भीड़ापानी पतलोट, लूगड़, में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने के सम्बन्ध में" श्री प्रताप पडियार पुत्र त्रिलोक सिंह, ग्राम भीड़ापानी एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।

19. श्री राम सिंह कैड़ा, सदस्य, विधान सभा, ''जनपद नैनीताल विधान सभा क्षेत्र भीमताल के अन्तर्गत ग्राम सभा अमजड़ ब्लाक ओखलकाण्डा में पत्थरखानी से मेलाचौड़ रिगौनिया पेयजल योजना के जीर्णोद्धार के सम्बन्ध में" श्री रमेश सिंह पुत्र ध्यान सिंह, ग्राम अमजद एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।

20. श्री राम सिंह कैड़ा, सदस्य, विधान सभा, ''जनपद नैनीताल विधान सभा क्षेत्र भीमताल के अन्तर्गत ग्राम मीडार-तल्ला अमजड़ ब्लाक ओखलकाण्डा में मोटर मार्ग डामरीकरण के सम्बन्ध में" श्री सुरेन्द्र सिंह पुत्र लक्ष्मण सिंह, ग्राम अमजद एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।

21. श्री प्रीतम सिंह पंवार, सदस्य, विधान सभा, ''विधान सभा क्षेत्र धनोल्टी के विकासखण्ड जौनपुर के भद्रीगाड़ में दैवीय आपदा में बहे पुलों के पुनर्निमाण कराये जाने के सम्बन्ध में" श्री सरदार सिंह पुत्र अमर सिंह, ग्राम खासकोटी पो0 श्रीकोट, विकासखण्ड जौनपुर, जिला टिहरीगढ़वाल एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।

22. श्री राम सिंह कैड़ा, सदस्य, विधान सभा, ''जनपद नैनीताल विधान सभा क्षेत्र भीमताल के ओखलकाण्डा ब्लाक के ग्राम-ककोड़ में किवानी गाड़ से कलोटा सिंचाई गूल ठीक कराने के सम्बन्ध में" श्री ललित सिंह पुत्र नैन सिंह, ग्राम ककोड़ एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।

23. श्री प्रीतम सिंह पंवार, सदस्य, विधान सभा, ''विधान सभा क्षेत्र धनोल्टी के विकासखण्ड जौनपुर में प्रसिद्ध पर्यटक/तीर्थ स्थल नागटिब्बा को पर्यटन स्थल घोषित कर मूल-भूत सुविधाओं का विकास करने के सम्बन्ध में" श्री बलवीर सिंह रावत पुत्र रूपचन्द रावत, ग्राम भटवाड़ी पो0 श्रीकोट (जौनपुर), जिला टिहरीगढ़वाल एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।

24. श्री राम सिंह कैड़ा, सदस्य, विधान सभा, ''जनपद नैनीताल विधान सभा क्षेत्र भीमताल के रामगढ़ ब्लाक में ऐलोपेथिक अस्पताल सतबुंगा की छत जो एक साल से उड़ी हुई है उसे ठीक करने के सम्बन्ध में" श्री बच्ची सिंह पुत्र उम्मेद सिंह, ग्राम सतबुंगा एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।

25. श्री चन्दन राम दास, सदस्य, विधान सभा, ''जनपद बागेश्वर के विधान सभा क्षेत्र बागेश्वर के मैगड़ी स्टेट में उप स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने के सम्बन्ध में" श्री दान सिंह पुत्र श्री डुंगर सिंह, ग्राम व पो0 पिग्लो जनपद बागेश्वर एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।

26. श्री चन्दन राम दास, सदस्य, विधान सभा, ''जनपद बागेश्वर के विधान सभा क्षेत्र बागेश्वर के अन्तर्गत उप स्वास्थ्य केन्द्र द्यौनाई के उच्चीकरण किये जाने के सम्बन्ध में" श्री किशन सिंह पुत्र श्री गोविन्द सिंह, ग्राम व पो0 द्यौनाई जनपद बागेश्वर एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।

27. श्री प्रीतम सिंह पंवार, सदस्य, विधान सभा, ''जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र धनोल्टी के विकासखण्ड जौनपुर में राजकीय इण्टरमीडिएट कालेज श्रीकोट, तहसील नैनबाग, के भवन निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में" श्री लोकेन्द्र लेखवार पुत्र श्री तुलाराम, ग्राम कोटी पो0 श्रीकोट विकासखण्ड जौनपुर एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।

28. श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा, ''जनपद हरिद्वार के झबरेड़ा विधान सभा क्षेत्र के ग्राम-क्वादपुर लोदीवाला में आन्तरिक सड़क क्षतिग्रस्त होने के सम्बन्ध में" श्री चन्द्रपाल सिंह पुत्र श्री मक्खन सिंह निवासी क्वादपुर लोदीवाला पो0 झबरेड़ा जनपद हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।

29. श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा, ''जनपद हरिद्वार के झबरेड़ा विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम-बन्दाखेड़ी में भूजल विषैला होने के सम्बन्ध में" श्री सुन्दर लाल पुत्र श्री पाल सिंह, ग्राम बन्दाखेड़ी पो0 नन्हेड़ा, जनपद हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।

30. श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा, ''जनपद हरिद्वार के झबरेड़ा विधान सभा क्षेत्र के ग्राम-गदरजुड्डा में राजबाहे पुल का चौड़ीकरण एवं राजबाहे पर स्लैब डालने के सम्बन्ध में" श्री प्रीतम सिंह पुत्र श्री मक्खन सिंह, ग्राम गदरजुड्डा पो0 मंगलौर, जनपद हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।

31. श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा, ''जनपद हरिद्वार के झबरेड़ा विधान सभा क्षेत्र के ग्राम-सरकड़ी ताहरपुर से माधोपुर जाने वाली सड़क का निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में" श्री दानिश गौड़ पुत्र श्री अफजल गौड़, ग्राम सरकड़ी ताहरपुर, जनपद हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।

32. श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा, ''जनपद हरिद्वार के झबरेड़ा विधान सभा क्षेत्र के ग्राम-कमेलपुर में 30 वर्षो से चकबन्दी न होने के सम्बन्ध में" श्री आनन्द कुमार पुत्र श्री कलीराम, ग्राम कमेलपुर, पो0 इकबालपुर, जनपद हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।

33. श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा, ''जनपद हरिद्वार के झबरेड़ा विधान सभा क्षेत्र में झबरेड़ा से रूड़की रेलवे स्टेशन तक सड़क बनाये जाने के सम्बन्ध में" श्री विपिन गर्ग पुत्र श्री रामकुमार, ग्राम व पो0 झबरेड़ा, जनपद हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।

34. श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा, ''जनपद हरिद्वार के झबरेड़ा विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत निर्माणाधीन राष्ट्रीय राजमार्ग सं0 73 में ग्राम माधोपुर के वासियों के लिए अंडरपास बनाने के सम्बन्ध में" श्री मांगे राम पुत्र श्री शान्ता प्रसाद, ग्राम माधोपुर, पो0 सालियर, जनपद हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।

35. श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा, ''जनपद हरिद्वार के झबरेड़ा विधान सभा क्षेत्र के ग्राम-भिस्तीपुर में अम्बेडकर पार्क के सौन्दर्यकरण के सम्बन्ध में" श्री सतपाल पुत्र श्री केशरिफ, ग्राम भिस्तीपुर, पो0 झबरेड़ा, जनपद हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।

36. श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा, ''जनपद हरिद्वार के झबरेड़ा विधान सभा क्षेत्र के ग्राम-कोटवाल आलमपुर के बीचों बीच गुजर रहे राजवाहे मे बच्चों के डूब कर मरने के सम्बन्ध में" श्री राजवीर पुत्र श्री साधुराम, ग्राम कोटवाल आलमपुर, पो0 झबरेड़ा, जनपद हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।

37. श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा, ''जनपद हरिद्वार के झबरेड़ा विधान सभा क्षेत्र के ग्राम- नजरपुर से होकर गुजर रहे नाले के कारण ग्रामीणों को हो रही परेशानी के सम्बन्ध में" श्री विनोद कुमार पुत्र श्री अमीचन्द, ग्राम नजरपुर, पो0 मंगलौर, जनपद हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।

38. श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा, ''जनपद हरिद्वार के झबरेड़ा विधान सभा क्षेत्र के ग्राम क्वादपुर लोदीवाला में मन्दिर के सौन्दर्यकरण के सम्बन्ध में" श्री चांदपाल सिंह पुत्र श्री मक्खन सिंह, ग्राम क्वादपुर लोदीवाला, पो0 झबरेड़ा जनपद हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।

39. श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा, ''जनपद हरिद्वार के झबरेड़ा विधान सभा क्षेत्र के ग्राम-डेलना में श्मशान घाट की चारदीवारी के सम्बन्ध में" श्री सोमपाल पुत्र श्री आशाराम, ग्राम डेलना, पो0 झबरेड़ा, जनपद हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।

40. श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा, ''जनपद हरिद्वार के झबरेड़ा विधान सभा क्षेत्र के ग्राम-सरकडी ताहरपुर के राजकीय प्राथमिक विद्यालय के भवन की मरम्मत के सम्बन्ध में" श्री हसीन अल्वी पुत्र श्री मुनफैत अल्वी, ग्राम सरकड़ी ताहपुर, पो0 सलेमपुर, जनपद हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।

41. श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा, ''जनपद हरिद्वार के झबरेड़ा विधान सभा क्षेत्र के ग्राम-खडखडी दयाला में अम्बेदकर पार्क के सौन्दर्यकरण के सम्बन्ध में" श्री सुरेन्द्र पुत्र श्री बाबू सिंह, ग्राम खडखडी दयाला, पो0 झबरेड़ा, जनपद हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।

42. श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा, ''जनपद हरिद्वार के झबरेड़ा विधान सभा क्षेत्र के ग्राम-नगला ऐमाद गांव से कुरडी गांव तक सड़क निर्माण के सम्बन्ध में" श्री आत्माराम पुत्र श्री रतन सिंह, ग्राम नगला ऐमाद, पो0 झबरेड़ा, जनपद हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।

43. श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा, ''जनपद हरिद्वार के झबरेड़ा विधान सभा क्षेत्र के ग्राम-शेरपुर खेलमऊ में सड़क निर्माण के सम्बन्ध में" श्री प्रदीप पुत्र श्री सूधल, ग्राम व पो0 शेरपुर, जनपद हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।

44. श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा, ''जनपद हरिद्वार के झबरेड़ा विधान सभा क्षेत्र के ग्राम-हिराहेड़ी में मेन सड़क से अकबरपुर फाजिलपुर लिंक रोड सड़क निर्माण के सम्बन्ध में" श्री कल्लू पुत्र श्री ईशम सिंह, ग्राम व पो0 हिराहेड़ी, जनपद हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।

45. श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा, ''जनपद हरिद्वार के झबरेड़ा विधान सभा क्षेत्र के ग्राम-डेलना के राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में स्टाफ की कमी को पूरा करने के सम्बन्ध में" श्री कलवा पुत्र श्री शिवकुमार, ग्राम डेलना, पो0 झबरेड़ा, जनपद हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।

46. श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा, ''जनपद हरिद्वार के झबरेड़ा विधान सभा क्षेत्र के ग्राम-लाठरदेवा हूण के राजकीय प्राथमिक विद्यालय की बिल्डिंग की मरम्मत के सम्बन्ध में'' श्री फूल कुमार पुत्र श्री शेरसिंह, ग्राम लाठरदेवा हूण, पो0 झबरेड़ा, जनपद हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।

47. श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा, ''जनपद हरिद्वार के झबरेड़ा विधान सभा क्षेत्र के ग्राम-साढोली में सड़क निर्माण के सम्बन्ध में'' श्री सत्यपाल सिंह पुत्र श्री दिलेराम, ग्राम साढोली, पो0 झबरेड़ा, जनपद हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।

48. श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा, ''जनपद हरिद्वार के झबरेड़ा विधान सभा क्षेत्र के ग्राम-सैदपुरा में मंगलोर नहर के पुल से सैदपुरा गांव तक सड़क निर्माण के सम्बन्ध में'' श्री धर्मपाल पुत्र श्री मोहरसिंह, ग्राम सैदपुरा, पो0 मंगलौर, जनपद हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।

49. श्री भरत सिंह चौधरी, सदस्य, विधान सभा, ''विधान सभा क्षेत्र रूद्रप्रयाग के जखोली ब्लॉक स्थित चिरबटिया कृषि महाविद्यालय का निमार्ण कार्य पूर्ण न किये जाने के सम्बन्ध में'' श्री प्रदीप पंवार, ग्राम त्यूंखर, जिला रूद्रप्रयाग वि०ख०जखोली एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।

50. श्री भरत सिंह चौधरी, सदस्य, विधान सभा, 'विधान सभा क्षेत्र रूद्रप्रयाग के विकास खण्ड जखोली स्थित ग्राम काण्डा भरदर में सिंचाई हौज एवं गूल निर्माण के सम्बन्ध में'' श्री मकर सिंह भण्डारी, ग्राम काण्डा, जिला रूद्रप्रयाग़ एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।

51. श्री भरत सिंह चौधरी, सदस्य, विधान सभा, ''विधान सभा क्षेत्र रूद्रप्रयाग के विकास खण्ड अगस्त्यमुनि स्थित हाई स्कूल तूना के उच्चीकरण के सम्बन्ध में'' श्री जगमोहन रावत, ग्राम तूना, पोस्ट सुमेरपुर, जिला रूद्रप्रयाग़ विकासखण्ड अगस्त्यमुनि एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।

52. श्री भरत सिंह चौधरी, सदस्य, विधान सभा, 'विधान सभा क्षेत्र रूद्रप्रयाग के विकास खण्ड अगस्त्यमुनि के अन्तर्गत सड़क निर्माण के कारण तूना में क्षतिग्रस्त सिंचाई गूल के सम्बन्ध में'' श्री जगमोहन सिंह, ग्राम तूना, पोस्ट सुमेरपुर, जिला रूद्रप्रयाग एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका करेंगे।

53. श्री भरत सिंह चौधरी, सदस्य, विधान सभा, ''विधान सभा क्षेत्र रूद्रप्रयाग के विकास खण्ड अगस्त्यमुनि स्थित पट्‌टी बच्छणस्यूं में 25 बैड के एलोपैथिक चिकित्सालय निर्माण के सम्बन्ध में'' श्री सुरेन्द्र जोशी, ग्राम नरकोटा, जनपद रूद्रप्रयाग एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।

54. श्री भरत सिंह चौधरी, सदस्य, विधान सभा, ''विधान सभा क्षेत्र रूद्रप्रयाग के विकास खण्ड अगस्त्यमुनि के तल्लानागपुर पेयजल योजना फेज-2 के सम्बन्ध में'' श्री घनश्याम पुरोहित, ग्राम सणगू, जिला रूद्रप्रयाग़ एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।

55. श्री भरत सिंह चौधरी, सदस्य, विधान सभा, 'विधान सभा क्षेत्र रूद्रप्रयाग के जखोली ब्लॉक स्थित राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पांडवथली में निर्माण निगम द्वारा विद्यालय भवन का निर्माण कार्य कई वर्षों से पूर्ण न किये जाने के सम्बन्ध में" श्री कृपाल सिंह, ग्राम धारकोट, पोस्ट धारकोट, जिला रूद्रप्रयाग़ विकासखण्ड जखोली एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।

56. श्री महेन्द्र भट्ट, सदस्य विधान सभा, ''जनपद चमोली के विकास-खण्ड दशोली के ग्राम दोगड़ी काण्डई में आयुर्वेदिक चिकित्सालय खोलने के सम्बन्ध में" श्री महानन्द बिष्ट, ग्राम काण्ड़ाई, पोस्ट टंगसा, दशोली जिला चमोली एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।

57. विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न, यदि कोई हों।

58. नियम 315 के खण्ड (13) व (14) के अन्तर्गत माननीय अध्यक्ष द्वारा घोषणायें, यदि कोई हों।

59. मंत्रियों द्वारा विविध वक्तव्य, यदि कोई हों।

60. मुख्यमंत्री, ''उत्तराखण्ड पुलिस (संशोधन), विधेयक, 2018'' पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मागेंगे।

61. मुख्यमंत्री, ''उत्तराखण्ड पुलिस (संशोधन), विधेयक, 2018'' को पुरःस्थापित करेंगे।

62. मुख्यमंत्री, ''उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (संशोधन) विधेयक, 2018'' पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मागेंगे।

63. मुख्यमंत्री, ''उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (संशोधन) विधेयक, 2018'' को पुरःस्थापित करेंगे।

64. आबकारी मंत्री, ''उत्तराखण्ड (संयुक्त प्रांत आबकारी अधिनियम, 1910)(अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002) (संशोधन), विधेयक, 2018'' पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मागेंगे।

65. आबकारी मंत्री, ''उत्तराखण्ड (संयुक्त प्रांत आबकारी अधिनियम, 1910)(अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002) (संशोधन), विधेयक, 2018'' को पुरःस्थापित करेंगे।

66. पर्यटन मंत्री, ''उत्तराखण्ड बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण (संशोधन), विधेयक, 2018'' पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मागेंगे।

67. पर्यटन मंत्री, ''उत्तराखण्ड बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण (संशोधन), विधेयक, 2018'' को पुरःस्थापित करेंगे।

68. मुख्यमंत्री, '' उत्तराखण्ड भाषा संस्थान, विधेयक, 2018'' पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मागेंगे।

69. मुख्यमंत्री, '' उत्तराखण्ड भाषा संस्थान, विधेयक, 2018'' को पुरःस्थापित करेंगे।

70. मुख्यमंत्री, '' पैट्रोलियम एवं ऊर्जा अध्ययन विश्वविद्यालय (संशोधन), विधेयक, 2018'' पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मागेंगे।

71. मुख्यमंत्री, ''पैट्रोलियम एवं ऊर्जा अध्ययन विश्वविद्यालय (संशोधन), विधेयक, 2018'' को पुरःस्थापित करेंगे।

72. मुख्यमंत्री, ''उत्तराखण्ड विविध विश्वविद्यालय (संशोधन), विधेयक, 2018'' पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मार्गेगे।

73. मुख्यमंत्री, ''उत्तराखण्ड विविध विश्वविद्यालय (संशोधन), विधेयक, 2018'' को पुरःस्थापित करेंगे।

74. मुख्यमंत्री, ''उत्तराखण्ड राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय (संशोधन), विधेयक, 2018'' पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मार्गेगे।

75. मुख्यमंत्री, ''उत्तराखण्ड राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय (संशोधन), विधेयक, 2018 को पुरःस्थापित करेंगे।

76. मुख्यमंत्री, ''उत्तराखण्ड अनानुदानित निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्थाओं (प्रवेश तथा शुल्क निर्धारण विनियम) (संशोधन), विधेयक, 2018'' पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मार्गेगे।

77. मुख्यमंत्री, ''उत्तराखण्ड अनानुदानित निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्थाओं (प्रवेश तथा शुल्क निर्धारण विनियम) (संशोधन), विधेयक, 2018'' को पुरःस्थापित करेंगे।

78. मुख्यमंत्री, ''उत्तराखण्ड गौ एवं महिषवंशीय प्रजनन विधेयक, 2018'' पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मार्गेगे।

79. मुख्यमंत्री, ''उत्तराखण्ड गौ एवं महिषवंशीय प्रजनन विधेयक, 2018'' को पुरःस्थापित करेंगे।

80. मुख्यमंत्री, ''उत्तराखण्ड धर्म स्वतंत्रता विधेयक, 2018'' पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मार्गेगे।

81. मुख्यमंत्री, ''उत्तराखण्ड धर्म स्वतंत्रता विधेयक, 2018'' को पुरःस्थापित करेंगे।

82. मुख्यमंत्री,''उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001) (संशोधन), विधेयक, 2018'' को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मार्गेगे।

83. मुख्यमंत्री, ''उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001) (संशोधन), विधेयक, 2018'' को पुरःस्थापित करेंगे।

84. कार्यस्थगन का प्रस्ताव, यदि कोई हो।

85. श्री मुन्ना सिंह चौहान, सदस्य विधान सभा निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे :-

''यह सदन माननीय राज्यपाल को उनके द्वारा दिनांक 20 मार्च, 2018 को दिए गये अभिभाषण के लिए कृतज्ञतापूर्वक धन्यवाद प्रकट करता है।''

श्री सुरेन्द्र सिंह जीना, सदस्य विधान सभा उक्त प्रस्ताव का समर्थन करेंगे।

(प्रस्ताव में संशोधनों के लिए देखिए नत्थी **''ग''**)

-10-

86. कृषि मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि उत्तराखण्ड कृषि उत्पाद मण्डी (विकास एवं विनियमन) (संशोधन) विधेयक 2017 पर विचार किया जाय। **(30 मिनट)**

87. कृषि मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि उत्तराखण्ड कृषि उत्पाद मण्डी (विकास एवं विनियमन) (संशोधन) विधेयक 2017 पारित किया जाय।

88. नियम 53 के अन्तर्गत सूचनाएं, यदि कोई हों।

आज्ञा से,

देहरादून :

दिनांक : 20 मार्च, 2018

(जगदीश चन्द्र)
सचिव।

प्रथम सत्र, 2018
का प्रथम बुधवार

उत्तराखण्ड विधान सभा
की कार्यसूची

बुधवार, 08 चैत्र, शक संवत्, 1940

(दिनांक : 21 मार्च 2018)

नत्थी 'क'

अल्पसूचित प्रश्न

काजी मौ0निजामुद्दीन 05.03.2018	'' तृतीय सत्र 2017 के प्रथम गुरूवार के तारांकित प्रश्न संख्या–14 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या सहकारिता मंत्री बताने का कष्ट करेगें कि वित्त विभाग की आपत्ति, कि उत्तराखण्ड सहकारी समिति (संशोधन) अधिनियम, 2013 में सहकारी प्राधिकरण में सदस्यों की नियुक्ति विधि सम्मत नहीं है, का निराकरण किस प्रकार किया गया है? क्या अधिनियम में प्राविधान न होने के बावजूद प्राधिकरण में सदस्यों की नियुक्ति को विधिक स्वरूप देने हेतु क्या प्रकिया अपनायी गयी? यदि नहीं, तो क्यों?	सहकारिता

<u>नत्थी 'ख'</u>

श्रीमती ममता राकेश **05.02.2018**	'1. **पंचम बुधवार के तारांकित 03 में स्थानान्तरित।** ''क्या श्रम मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में सिडकुल के अन्तर्गत स्थापित औद्योगिक आस्थानों में रोजगार कानूनों का पूर्ण रूप से पालन हो रहा है? क्या सरकार यह भी बताने का कष्ट करेगी कि प्रदेश में स्थापित औद्योगिक आस्थानों में स्थानीय युवकों के लिये 70 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान सुनिश्चित किया है? यदि नहीं, तो क्यों?''	**श्रम**
श्रीमती ममता राकेश **05.02.2018**	'2. **स्थगित।** ''क्या नगर विकास मंत्री अवगत है कि भगवानपुर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत औद्योगिक क्षेत्र में ड्रेनेज की कोई व्यवस्था न होने के कारण सिडकुल का दूषित पानी व अन्य अवशिष्ट आस–पास की बस्तियों तथा आने–जाने वाले मार्ग पर एकत्रित हो जाता है जिससे आवागमन में अत्यधिक कठिनाई उत्पन्न हो रही है? यदि हां, तो क्या सरकार जन समस्या को दृष्टिगत रखते हुए औद्योगिक क्षेत्र में ड्रेनेज	**नगर विकास**

व्यवस्था को ठीक करवायेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों? ''

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी 05.02.2018	'3. क्या प्रशिक्षण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि पूर्व में कतिपय स्थानों पर आई0टी0आई0 संस्थान खोलने की घोषणा की गयी है? यदि हां, तो वे कौन–कौन से स्थान है तथा क्या यह सत्य है कि कर्णप्रयाग विधान सभा के नैनीसैण तथा माईथान (बच्छुवाबाण) में भी आई0टी0आई0 संस्थान खोलने की घोषणा की गयी है? यदि हां, तो कब तक इन संस्थानों में प्रशिक्षण (पठन–पाठन) कार्य प्रारम्भ हो जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?	प्रशिक्षण
श्री देशराज कर्णवाल 05.02.2018	'4. **एक से अधिक विभाग होने के आधार पर निरस्त।** ''क्या नगर विकास मंत्री अवगत है कि राज्य में स्वच्छता अभियान कार्यक्रम की सफलता में सफाई कर्मचारियों की सहभागिता की नितांत आवश्यकता है? यदि हां, तो इस कार्यक्रम को नगरीय क्षेत्रों में सफल बनाने के लिए राजकीय कार्यालयों, संस्थानों, स्थानीय निकायों में सफाई कर्मचारियों की तैनाती न होने के कारण इस कार्यक्रम को अपेक्षित सफलता मिलने की संभावनाऐं क्षीण है? क्या सरकार इन सभी स्थानों पर समाज के अति दलित अनु0जाति समुदाय के व्यक्तियों को सफाई कर्मचारियों के रूप में तैनात करने के लिए आवश्यक पदों का सृजन करेगी? यदि हां तो क्या उक्त कार्य योजना का विवरण सदन के पटल पर रखेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?''	नगर विकास
श्री खजान दास 05.02.2018	'5. क्या शहरी विकास मंत्री अवगत है कि उत्तराखण्ड प्रदेश में 581 मलिन बस्तियॅा है जिसमें अकेले देहरादून शहर में 129 बस्तियॅा है? क्या मंत्री जी यह भी अवगत है कि मलिन बस्तियों के नियमितिकरण हेतु पूर्व सरकार द्वारा कैबिनेट में भी प्रस्ताव लाया गया था? क्या मलिन बस्तियों को नियमितिकरण हेतु सरकार द्वारा कोई ठोस नीति बनाई जा रही है अथवा नहीं? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?	शहरी विकस
श्री देशराज कर्णवाल 06.02.2018	'6. क्या कौशल विकास एवं सेवायोजन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में बेरोजगारों को रोजगार देने की कोई नीति बनी है? यदि हां, तो वित्तीय वर्ष 2014 से 17 में कुल कितने लोगों को रोजगार दिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों?	कौशल विकास एवं सेवायोजन

श्रीमती ममता राकेश 06.02.2018	’7. **एक से अधिक विभाग होने के आधार पर निरस्त।** ’’क्या शहरी विकास मंत्री अवगत है कि जनपद हरिद्वार के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र भगवानपुर में बड़ी संख्या में औद्योगिक ईकाईयां स्थापित है परन्तु यह क्षेत्र मूलभूत सुविधाओं से अभी तक वंचित है? यदि हां तो क्या सरकार भगवानपुर कस्बे को राष्ट्रीय राजमार्ग पर अवस्थित होने तथा महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्र होने के फलस्वरूप स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने पर विचार करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?’’	शहरी विकास
श्री प्रदीप बत्रा 06.02.2018	’8. **एक से अधिक विभाग होने के आधार पर निरस्त।** ’’क्या नगर विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि शहरी क्षेत्र के मध्य में लगने वाले राष्ट्रीय ध्वज की देखभाल का कार्य किसके द्वारा किया जाता है?’’	नगर विकास
श्रीमती ऋतु खण्डूडी भूषण 06.02.2018	’9. क्या वन एवं पर्यावरण मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तराखण्ड राज्य और विधान सभा क्षेत्र यमकेश्वर के वनों में वन्य जीवों की सतत् संख्या का आंकलन किया गया है अथवा नहीं? यदि हॉ तो क्या इन वन क्षेत्रों में वन्यजीवों की संख्या सतत् स्तरों से अधिक है? यदि हॉ तो क्या इसी कारण से वन्यजीव, वनों के मानव आबादी और कृषि को भारी क्षति पहुॅचा रहे है? यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या योजना है?	वन एवं पर्यावरण
श्री देशराज कर्णवाल 07.02.2018	’10. **एक से अधिक विभाग होने के आधार पर निरस्त** क्या शहरी विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में सीवर/टैंक सफाई के काम का आधुनिकीकरण किया जा रहा है? यदि हां, तो किन–किन नगरीय क्षेत्रों में ऐसा किया जा रहा है? यदि नहीं, तो क्यों?	शहरी विकास
श्री प्रीतम सिंह पंवार 07.02.2018	’11. क्या सेवायोजन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में जनपदवार प्रशिक्षित एवं अप्रशिक्षित बेरोजगारों की संख्या कितनी है? क्या सरकार इन प्रशिक्षित व अप्रशिक्षित बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए किसी ठोस व प्रभावी कार्ययोजना बनाने पर विचार कर रही है? यदि हॉ तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?	सेवायोजन
श्री प्रीतम सिंह पंवार 07.02.2018	’12. क्या वन मंत्री अवगत है कि राज्य के वन क्षेत्रों में गर्मी के मौसम में आग लगने के कारण पर्यावरण, वन्य जीव जन्तुओं तथा वन सम्पदा को क्षति पहुॅचती है? क्या यह सत्य है कि गत वर्ष फरवरी से जून 2016 तक पूरे तेरह जनपदों में 4500 हैक्टेयर वन क्षेत्र प्रभावित हुआ था, तथा इस भीषण अग्निकाण्ड में आग बुझाने से 12 लोगों को अपनी जान गवांनी पड़ी? जंगलों में प्रतिवर्ष लगने वाली आग को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या	वन

प्रभावी कदम उठाये गये हैं? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री खजान दास 07.02.2018	’13. क्या आवास मंत्री अवगत है कि प्रदेश में कई प्राधिकरण शहरों को सुव्यवस्थित रूप में बसाये जाने हेतु कार्य कर रहे है? क्या मंत्री जी यह भी अवगत है कि प्राधिकरण क्षेत्रों में किसी भी नव निर्माण के लिए संबंधित प्राधिकरण की मंजूरी आवश्यक है, जिसमें नियमानुसार निर्माण हेतु पार्किंग एवं खुली सड़कों का होना अत्यन्त आवश्यक है, परन्तु प्राधिकरण/शहरी क्षेत्रों में अधिकतर निर्मित अस्पतालों में मरीजों एवं आगन्तुकों से पार्किंग के नाम पर खुले आम उगाही की जा रही है? क्या प्राधिकरण एवं सरकार द्वारा अस्पतालों एवं अन्य व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को इस शर्त पर भवन मानचित्र पास किये जाते है कि वे निर्मित पार्किंग का व्यवसायीकरण करें? क्या सरकार अस्पतालों एवं अन्य व्यवसायिक प्रतिष्ठानों में पार्किंग के नाम पर हो रही उगाही को रोकने हेतु जनहित में कोई प्रभावी कदम उठा रही है? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?	आवास
श्री धन सिंह नेगी 09.02.2018	’14. क्या आयुष मंत्री अवगत है कि उत्तराखण्ड राज्य में सिडयूल के सिडयूल एच की दवाईयां देने की नियमावली विद्यमान है? यदि हां, तो क्या मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि वर्तमान में सरकार द्वारा आयुर्वेदिक डाक्टरों, फार्मेसिस्टों को वर्गीकृत दवाईयां देने के लिए निर्देश जारी किये है? यदि नहीं, तो क्यों?	आयुष
श्री धन सिंह नेगी 09.02.2018	’15. क्या नगर विकास मंत्री अवगत है कि नगर पालिका परिषदों एवं नगर पंचायतों में तीन बच्चों के अभिभावकों को चुनाव लड़ने से रोक लगाई गयी है? यदि हां, तो क्या मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि सरकार दो बच्चों वाले नागरिकों को चुनाव लड़ने के लिए वर्तमान एक्ट में संशोधन करने जा रही है? यदि नहीं, तो क्यों?	नगर विकास
श्री सुरेश राठौर 09.02.2018	’16. क्या कौशल विकास एवं सेवायोजन मंत्री बताने का कष्ट करेगें कि उत्तराखण्ड प्रदेश में वर्ष 2017–18 में वर्तमान समय तक जनपदवार कितने रोजगार मेले आयोजित किये गये? उनमें कितने युवाओं द्वारा भाग लिया गया एवं उनको कहां–कहां रोजगार दिया गया? क्या सरकार विवरण सहित सदन के पटल पर रखेगी?	कौशल विकास
श्री प्रीतम सिंह पंवार 14.02.2018	’17. क्या वन एवं पर्यावरण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में गुच्छी उत्पादन अत्यधिक मात्रा में होने के बावजूद विपणन की कोई	

	ठोस व्यवस्था नहीं है एवं प्रदेश के कई हिस्सों की जलवायु इसके अनुकूल है? यदि हां तो क्या सरकार विपणन व अनुसंधान के लिए कोई नीति बनाने जा रही है? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?	वन एवं पर्यावरण
श्री चन्दन राम दास 14.02.2018	´18. वन मंत्री अवगत कराने का कष्ट करेगें कि क्या प्रदेश में बन्दरों व सुअरों के आतंक से कृषि कार्य बाधित हो रहा है? यदि हां, तो सरकार बन्दरों को पकड़ने व उनके बधियाकरण की कोई ठोस योजना बना रही है, तथा इस कार्य में सरकार द्वारा अभी तक कुल कितनी धनराशि खर्च की गयी है? तद्संबंधी सम्पूर्ण विवरण क्या सदन के सम्मुख प्रस्तुत करेगें? यदि नहीं, तो क्यों?	वन
श्री धन सिंह नेगी 15.02.2018	´19. **मा0उच्च न्यायालय में विचााराधीन होने के आधार पर निरस्त** ''क्या आवास मंत्री अवगत है कि उत्तराखण्ड राज्य में आवास विकास विभाग उ0प्र0 की सम्पत्ति विद्यमान है? यदि हां, तो क्या मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तराखण्ड में आवास विकास विभाग की कहां–कहां पर सम्पत्ति है तथा वह वर्तमान में किसके अधिकार क्षेत्र में है? यदि नहीं, तो क्यों?''	आवास
श्री कैलाश चन्द्र गहतोड़ी 16.02.2018	´20. **द्वितीय बुधवार के तारा0 11 में स्थानान्तरित।** ''क्या शहरी विकास मंत्री बताने का कष्ट करेगें कि चम्पावत जिले की चम्पावत विधान सभा के टनकपुर में पूर्णागिरी धाम को विकसित करने के लिये पूर्णागिरी विकास प्राधिकरण का गठन कब किया जाऐगा? वर्तमान समय तक क्या कार्यवाही की जा चुकी है तथा क्या कार्यवाही शेष होनी है? क्या सरकार जनहित में शीघ्र इसका गठन करायेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?''	शहरी विकास

अतारांकित प्रश्न

श्री राम सिंह कैड़ा 05.02.2018	1. क्या प्रशिक्षण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि भीमताल विधान सभा के ओखलकाण्डा ब्लॉक ढोलीगांव में आई0टी0आई0 तथा ओखलकाण्डा / लूगड में आई0टी0आई0 कब तक खुल जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?	प्रशिक्षण

श्री करन माहरा 05.02.2018	2. प्रशिक्षण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि क्या पूर्व में रानीखेत विधान सभा के भिकियासैंण ब्लांक के ईण्डा ग्राम में एक आई0टी0आई0 केन्द्र खोलने का शासनादेश हुआ था? यदि हां, तो क्या सरकार इस पर कार्य प्रारम्भ कर रही है? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?	प्रशिक्षण
फुरकान अहमद 05.02.2018	3. क्या आवास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तराखण्ड शासन के आवास अनुभाग–2 के पत्र संख्या– 188/–अ–2–2015–14 (आ) 2015 जो गंगोत्री विहार, चीडोवाली, देहरादून में अवैध अनियमित रूप से निर्माण कार्य की जांच विषयक था पर एम0डी0डी0ए0 द्वारा की गयी जांच के क्या परिणाम रहे?	आवास
श्री पूरन सिंह फर्त्याल 05.02.2018	4. क्या प्रशिक्षण मंत्री अवगत कराने का कष्ट करेंगे कि जनपद –चम्पावत के अन्तर्गत राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खेतीखान के भवन निर्माण की मांग लम्बे समय से की जा रही है जिसकी डी0पी0आर0 की वित्तीय स्वीकृति शासन के द्वारा अभी तक नहीं दी गई है क्या सरकार आई0टी0आई0 खेतीखान के भवन निर्माण हेतु वित्तीय स्वीकृति प्रदान करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?	प्रशिक्षण
श्री चन्दन राम दास 05.02.2018	5. क्या सेवायोजन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि विभाग द्वारा संचालित जिला बागेश्वर के गरूड़ में संचालित आई0टी0आई0 का किराया विगत 2 वर्षों से लम्बित पड़ा हुआ है? जनपद पिथौरागढ़ के तीन आई0टी0 आई0 का किराया ही स्वीकृत किया गया है? यदि हां, तो किराया भुगतान किये जाने के लिए सरकार कार्यवाही कर रही है? क्या सरकार उक्त प्रकरण पर विचार करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?	सेवायोजन
श्री चन्दन राम दास 05.02.2018	6. क्या वन मंत्री अवगत है कि उत्तराखण्ड वन विकास निगम के स्थायी आदेश पत्र संख्या–783/ – 42 दिनांक 05.09.2016 के अनुसार कार्यदायी संस्था को पातन की धनराशि अदा करनी है, तभी पेड़ों का कटान होना है? क्या यह सत्य है कि शासनादेश जारी होने के पूर्व स्वीकृत सड़कों या अन्य कार्यों के प्राकलनों में पातन की व्यवस्था हेतु धनराशि की व्यवस्था नहीं है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त शासनादेश को निरस्त कर पूर्व की भॅाति व्यवस्था सुनिश्चित करेगी, तांकि रूके मोटर मार्गों में पातन कार्य किया जा सके?	वन

श्री सुरेश राठौर 05.02.2018	7. क्या शहरी विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तराखण्ड राज्य में मजदूरों, झुग्गी झोपडियों वाले रेहड़े–खोखे–फुटपाथ–ठेले वाले लघु (छोटे) व्यापारियों के उत्थान के लिए कोई विशेष कार्य योजना नीति बनाये जाने विचार किया जायेगा? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?	शहरी विकास
श्री सहदेव सिंह पुण्डीर 05.02.2018	8. क्या वन मंत्री अवगत है कि जनपद देहरादून की विधान सभा का अधिकांश भाग वन विभाग की सीमा से सटा हुआ है? प्रतिवर्ष बरसात के मौसम में वन विभाग के क्षेत्र से बरसाती पानी आबादी वाले क्षेत्र में आता है जिससे कृषि योग्य भूमि व आबादी क्षेत्र में नुकसान होता है? क्या बरसात के पानी को रोकने हेतु सरकार के स्तर से सुरक्षा दीवार बनाये जाने की कोई कार्यवाही प्रस्तावित है? यदि हां, तो कब तक कार्य प्रारम्भ होगा? यदि नहीं, तो क्यों?	वन
श्री सहदेव सिंह पुण्डीर 05.02.2018	9. क्या वन मंत्री अवगत है कि जनपद देहरादून की विधान सभा का अधिकांश भाग वन क्षेत्रों से सटा होने के कारण आये दिन जंगली जानवरों जैसे कि हाथी, बाघ आदि को आतंक बना रहता है और कई बार जान–माल की हानि भी हो चुकी है साथ ही क्षेत्रवासियों की फसलों को भी जंगली जानवर नुकसान पहॅुचा रहे है? क्या जंगली जानवरों से जान–माल व फसलों की सुरक्षा हेतु सरकार की कोई कार्यवाही प्रस्तावित है? यदि हां, तो क्या? यदि नहीं, तो क्यों?	वन
श्री करन माहरा 06.02.2018	10. क्या प्रशिक्षण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि रानीखेत विधान सभा के चिलियानौला स्थित आई0टी0आई0 केन्द्र का आज तक अपना भवन नहीं है? क्या सरकार उक्त भवन का निर्माण करायेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?	प्रशिक्षण
श्री करन माहरा 06.02.2018	11. क्या सेवायोजन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि रानीखेत के सेवायोजन कार्यालय में कब से सेवायोजन अधिकारी का पद रिक्त है? क्या इसमें शीघ्र नियुक्ति की जा रही है? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?	सेवायोजन
श्री करन माहरा 06.02.2018	12. क्या प्रशिक्षण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि रानीखेत विधान सभा के चिलियानौला स्थित आई0टी0आई0 केन्द्र में सरकार अतिरिक्त विषय खोलने पर विचार कर रही है? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?	प्रशिक्षण

श्रीमती ममता राकेश 06.02.2018	13. क्या श्रम मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि वित्तीय वर्ष 2016–17 में प्रदेश में जिले वार कितने पंजीकृत श्रमिकों के उपयोगार्थ उत्तराखण्ड कर्मकार कल्याण बोर्ड के माध्यम से टूल किट वितरण हेतु शिविरों का आयोजन किया गया है? इन शिविरों में पंजीकृत श्रमिकों को टूल किट के अन्तर्गत किन–किन वस्तुओं का वितरण किया गया? वित्तीय वर्ष 2016–17 हेतु इन टूल किटों के वितरण में कुल कितनी धनराशि व्यय हुई है? क्या वित्तीय वर्ष 2017–18 हेतु पंजीकृत श्रमिकों के उपयोगार्थ उत्तराखण्ड कर्मकार कल्याण बोर्ड के माध्यम से कहां–कहां शिविर लगाये जाने की योजना है? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?	श्रम
श्रीमती ममता राकेश 06.02.2018	14. क्या आवास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि क्या सरकार जनपद हरिद्वार के भगवानपुर क्षेत्र में ट्रान्सपोर्ट नगर बनाने पर विचार करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?	आवास
श्री प्रदीप बत्रा 06.02.2018	15. क्या शहरी विकास मंत्री अवगत है कि रूड़की विधान सभा क्षेत्र में वर्तमान नगर निगम द्वारा सरकारी सम्पत्ति का दुरूपयोग कर निजी हाथों में बेचा जा रहा है? क्या मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि शासन स्तर पर इस हेतु कोई जॉच चल रही है? अगर हां, तो उसके क्या परिणाम है? अगर नहीं, तो क्यों?	शहरी विकास
श्री प्रदीप बत्रा 06.02.2018	16. **एक से अधिक विभाग होने के आधार पर निरस्त** क्या शहरी विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि रूड़की विधान सभा क्षेत्र में कार्यदायी संस्थाओं से कराये जा रहे विकास कार्यों हेतु क्या नगर निगम की अनुमति की आवश्यकता पड़ती है? क्या इसके लिए सरकार द्वारा कोई शासनादेश जारी किया गया है और यदि किया गया है तो क्या मा0 मंत्री जी उसकी प्रति सदन के पटल पर रखेगें?	शहरी विकास
श्री प्रदीप बत्रा 06.02.2018	17. क्या शहरी विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि रूड़की विधान सभा क्षेत्र में मल्टीलेवल पार्किंग के निर्माण की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?	शहरी विकास
श्री चन्दन राम दास 06.02.2018	18. क्या श्रम एवं सेवायोजन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि विधान सभा बागेश्वर के अन्तर्गत गरूड़ में किराये के भवन में संचालित आई0टी0आई0 के स्थाई भवन के निर्माण के लिए चयनित भूमि में भवन निर्माण पर क्या सरकार विचार करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?	श्रम एवं सेवायोजन

श्री चन्दन राम दास 06.02.2018	19.	(द्वितीय बुधवार के अतारांकित 03 में स्थानान्तरित) क्या श्रम मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र बागेश्वर के अनतर्गत आई0टी0आई0 कटपुडियाछीना (काफलीगैर) के स्वीकृत भवन के निर्माण की क्या कोई कार्यवाही गतिमान है? क्या यह सत्य है कि निर्माण इकाई को लम्बे समय से धनराशि अवमुक्त होने के बाद भी भवन निर्माण की कार्यवाही नहीं होने के लिए कौन उत्तरदायी है? क्या सरकार तत्काल भवन निर्माण किये जाने की कार्यवाही करेगी? यदि हां, तो कब? यदि नहीं, तो क्यों?	श्रम
श्री विशन सिंह चुफाल 06.02.2018	20.	क्या वन एवं पर्यावरण मंत्री अवगत है कि जनपद पिथौरागढ़ में राम गंगा नदी के केदारेश्वर श्मशान घाट के पास लकड़ी का टाल न होने से शव को जलाने हेतु लकड़ी बाहर से महंगी दरों पर खरीदी जाती है? क्या सरकार उक्त स्थान पर टाल स्वीकृत कराएगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?	वन एवं पर्यावरण
श्री विशन सिंह चुफाल 06.02.2018	21.	क्या वन एवं पर्यावरण मंत्री अवगत है कि जनपद पिथौरागढ़ के जाड़ापानी से घनधूरा कफलानी सड़क गाडियों के लिए यातायात हेतु बन्द है? क्या सरकार जंगल में गिरी पड़ी हुई इमारती लकडियॉ लाने हेतु तथा पर्यटकों के आवागमन हेतु सड़क का निर्माण कराएगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?	वन एवं पर्यावरण
श्री सुरेश राठौर 21.02.2018	22.	क्या शहरी विकास मंत्री बताने का कष्ट करेगें कि उत्तराखण्ड प्रदेश में शहरी विकास विभाग के अन्तर्गत आने वाले स्थानीय/नगर निकायों में पशु चिकित्सा विभाग का ढॅाचा/नियमावली स्वीकृत है? यदि हां, तो विवरण सदन में प्रस्तुत करेगें? यदि नहीं, तो उक्त ढॅाचा अतिशीघ्र कब तक तैयार कर लिया जायेगा?	शहरी विकास
श्री सुरेश राठौर 06.02.2018	23.	क्या शहरी विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तराखण्ड प्रदेश में जिलेवार प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के अन्तर्गत सही पात्रता रखने वाले लोगों की संख्या कितनी है क्या पात्र लोगों के आवास प्रदेश में जनपदवार निर्मित हो गये है? यदि हां, तो कितने आवास निर्मित या निर्माणाधीन हैं? यदि नहीं, तो क्यों?	शहरी विकास

श्री प्रीतम सिंह पंवार 07.02.2018	24. क्या वन मंत्री अवगत है कि देश में पायी जाने वाली पक्षी प्रजातियों में आधी से अधिक प्रजातियां उत्तराखण्ड में पायी जाती है? यदि हां, तो वह कौन–कौन सी प्रजातियां है?	वन
श्री प्रीतम सिंह पंवार 07.02.2018	25. क्या प्रशिक्षण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राज्य में जनपदवार राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान कौन–कौन से है और इन संस्थानों में से कुल कितने संस्थान भवन विहीन है? ऐसे भवन विहीन राजकीय प्रशिक्षण संस्थानों में भवनों का निर्माण कब तक करा लिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?	प्रशिक्षण
श्री प्रीतम सिंह पंवार 07.02.2018	26. क्या वन एवं पर्यावरण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में कीड़ जड़ी (यारसा गम्बू) के संग्रहण व विपणन के लिए कोई नीति है? यदि हां, तो वह क्या है? यदि नहीं, तो क्यों?	वन एवं पर्यावरण
श्रीमती ऋतु खण्डूड़ी भूषण 07.02.2018	27. क्या शहरी विकास मंत्री अवगत है कि पौड़ी जिले के दुगड्डा, स्वर्गाश्रम लक्ष्मणझूला शहरी क्षेत्रों में कूडा निस्तारण की गंभीर समस्या है? यदि हां, तो इन दोनों नगर पंचायतों से प्राप्त प्रस्तावों पर सरकार क्या कार्यवाही करने की मंशा रखती है? क्या सरकार के स्तर पर शहरी क्षेत्रों के सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और ऐसे सोलिडवेस्ट से खाद और ऊर्जा बनाने का कोई कार्यक्रम है? यदि हां, तो तत्सम्बन्धी जानकारी क्या है?	शहरी विकास
श्री पूरन सिंह फर्त्याल 07.02.2018	28. क्या आवास मंत्री अवगत है कि लोहाघाट नगर की भूमि को फ्रीहोल्ड करने के लिए धनराशि जमा करायी गयी है? क्या नगरवासियों को भूमि का मालिकाना हक दे दिया गया है? यदि नहीं, तो क्या सरकार लोहाघाट नगरवासियों को उनकी भूमि का मालिकाना हक देगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?	आवास
श्री पूरन सिंह फर्त्याल 07.02.2018	29. क्या श्रम एवं सेवायोजन मंत्री अवगत है कि जनपद चम्पावत के अन्तर्गत राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खेतीखान के भवन निर्माण की मांग लम्बे समय से की जा रही है जिसकी डी0पी0आर0 की वित्तीय स्वीकृति शासन के द्वारा अभी तक नहीं दी गई है? क्या सरकार आई0टी0आई0 खेतीखान के भवन निर्माण हेतु वित्तीय स्वीकृति प्रदान करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?	श्रम एवं सेवायोजन

श्री सुरेश राठौर 07.02.2018	30. क्या नगर विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि नगर निगम हरिद्वार में ज्वालापुर में अवैध बूचड़खाने चल रहे है? यदि हां, तो अब तक उन पर की गई कार्यवाही से अवगत कराया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?	नगर विकास
श्री सुरेन्द्र सिंह जीना 08.02.2018	31. क्या वन मंत्री अवगत है कि अल्मोड़ा जिले की सल्ट विधान सभा में इन्हलू नामक गांव के लोगों को वन विभाग द्वारा 'गौच' नामक मछली के शिकार के कारण अभियुक्त बनाया गया है जिस कारण गांव के सीधे सादे लोगों को जेल जाना पड़ा? क्या मंत्री इस बात से अवगत है कि पर्वतीय जिलों की नदियों से स्थानीय जनता मछली पकड़ने का कार्य अपने भोजन हेतु काफी वर्षों से कर रहे है? यदि हां, तो सरकार द्वारा गोच मछली को संरक्षित प्रजाति की श्रेणी में कब से रखा गया और क्या इसकी कोई सूचना नदी किनारे या सार्वजनिक स्थानों पर लगाई गयी थी? यदि नहीं, तो क्या सरकार जानकारी के अभाव के कारण सीधे–सीधे गांव के लोगों को अनजाने में किए गऐ कार्य के लिये दोषमुक्त करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?	वन
श्री सुरेश राठौर 08.02.2018	32 शहरी विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि क्या देहरादून, रूड़की, हरिद्वार, काशीपुर, रूद्रपुर एवं हल्द्वानी शहरों में संबंधित नगर निगमों द्वारा शापिंग माल व व्यवसायिक भवनों का निर्माण कराया जा रहा है? यदि हां, तो कितने शापिंग माल व व्यवसायिक भवनों का निर्माण किया जा चुका है एवं कितने निर्माणाधीन है व उक्त निर्मित भवनों के आवंटन में आरक्षण नीति का अनुपालन किया गया है या नहीं? यदि नहीं, तो संबंधित नगर निगमों द्वारा शांपिग माल एवं व्यवसायिक भवनों के निर्माणोपरान्त आवंटन हेतु उचित आरक्षण नीति का अनुपालन किया जायागा?	शहरी विकास
श्री फुरकान अहमद 08.02.2018	33. क्या शहरी विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद हरिद्वार के पिरान कलियर के पाडली गुजर तेलीवाला पाइप लाइन का अमृत योजना के अन्तर्गत बजट एवं टेन्डर का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है? क्या यह सत्य है कि उक्त कार्य रोक दिया गया है? यदि हां, तो इसके क्या कारण है? यदि नहीं, तो क्यों?	शहरी विकास
श्री देशराज कर्णवाल 09.02.2018	34. क्या सेवायोजन मंत्री अवगत है कि उत्तराखण्ड के सेवायोजन कार्यालयों में दर्ज शिक्षित बेरोजगारों को राज्य 09 नवम्बर 2012 से प्रवृत्त रोजगार सह कौशल विकास भत्ता दिया जाना तय था? यदि हां, तो क्या मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि उक्त योजना के प्रारंभ होने	सेवायोजन

के बाद से अब तक जनपदवार कितने शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार सह कौशल विकास भत्ता प्रदान किया जा चुका है? इनमें से हरिद्वार जिले में कितने लाभार्थी है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री धन सिंह नेगी 09.02.2018	35. क्या आवास मंत्री अवगत है कि नगर क्षेत्रों में नक्शा पास करने के लिए निहित प्राधिकारी के पद स्वीकृत है? यदि हां, तो क्या मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि टिहरी विधान सभा के अन्तर्गत नई टिहरी नगर पालिका क्षेत्र में निहित प्राधिकारी विनियमित क्षेत्र के लिए कोई कर्मी तैनात है? यदि नहीं, तो क्यों?	आवास
श्री धन सिंह नेगी 09.02.2018	36. क्या आयुष मंत्री अवगत हैं कि उत्तराखण्ड राज्य में जड़ीबूटी के दोहन के लिए सरकार की कोई योजना विद्यमान है? यदि हां, तो क्या मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश सरकार अपने यहां आयुष फैक्ट्रियों में आवश्यकता के अनुसार जड़ीबूटी देने के लिए किस प्रक्रिया का अनुपालन कर रही है? क्या सरकार दोहन की जाने वाली जड़ीबूटी का समर्थन मूल्य घोषित करती है? यदि नहीं, तो क्यों?	आयुष
श्री धन सिंह नेगी 09.02.2018	37. **एक से अधिक विभाग होने के आधार पर निरस्त।** क्या नगर विकास मंत्री अवगत है कि नगर क्षेत्रों की प्रशासनिक समस्याओं के समाधान हेतु विनियमित क्षेत्र नियत प्राधिकारी के पद का प्राविधान है? यदि हां, तो क्या मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि टिहरी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत नई टिहरी नगर के लिए नियत प्राधिकारी के पद हेतु सरकार ने अभी तक क्या कार्यवाही की है? यदि नहीं, तो क्यों?	नगर विकास
श्रीमती ममता राकेश 09.02.2018	38. क्या पर्यावरण मंत्री अवगत है कि जनपद हरिद्वार के भगवानपुर विधान सभा क्षेत्र में बड़ी–बड़ी राष्ट्रीय कंपनियों द्वारा नदियों में प्रदूषण फैलाया जा रहा है जिसके कारण पेयजल का पानी दूषित हो रहा है? क्या सरकार इस हेतु सम्बन्धित कंपनियों के खिलाफ कार्यवाही करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?	पर्यावरण
श्री महेन्द्र भट्ट 09.02.2018	39. क्या प्रशिक्षण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद चमोली के विकास खण्ड पोखरी के जिलासू में आई0टी0आई0 खोलने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है? यदि नहीं, तो क्यों?	प्रशिक्षण
श्री कैलाश चन्द्र गहतोड़ी 12.02.2018	40. क्या शहरी विकास मंत्री बताने का कष्ट करेगें कि चम्पावत जिले की चम्पावत विधान सभा के टनकपुर में आधुनिक शौचायलय की स्वीकृति कब की गयी थी और उसके लिए कितनी धनराशि स्वीकृत थी? वर्तमान समय तक कितनी धनराशि उक्त के सापेक्ष व्यय की जा	

	चुकी है और कितना कार्य शेष है? क्या सरकार जनहित में शीघ्र इसका निर्माण करायेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?	शहरी विकास
श्री कैलाश चन्द्र गहतोड़ी 12.02.2018	41. क्या शहरी विकास मंत्री बताने का कष्ट करेगें कि चम्पावत जिले की चम्पावत विधान सभा के चम्पावत नगर में पार्किंग के लिए व टनकपुर नगर में पार्किग के लिए स्वीकृति कब की गयी थी और उसके लिए कितनी धनराशि स्वीकृत थी? क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेगें कि वर्तमान समय तक कितनी धनराशि उक्त कार्य हेतु व्यय की जा चुकी है और कितना कार्य शेष है? क्या सरकार जनहित में शीघ्र इसका निर्माण करायेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?	शहरी विकास
श्री विनोद कण्डारी 12.02.2018	42. क्या शहरी विकास मंत्री बताने का कष्ट करेगें कि विधान सभा देवप्रयाग के कीर्तिनगर व देवप्रयाग शहर में पार्किग की समस्या के समाधान हेतु सरकार क्या कोई कार्य कर रही है व कब तक उपरोक्त शहरों में पार्किग व्यवस्था हो जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?	शहरी विकास
श्री गणेश जोशी 12.02.2018	43 क्या नगर विकास मंत्री अवगत है कि वर्ष 2017–18 में राज्य की नगर पंचायतें, नगरपालिकाओं एवं नगर निगमों को अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु धनराशि अवमुक्त की गयी है? यदि हां, तो किस–किस मद से कितनी धनराशि प्रत्येक निकाय को स्वीकृत की गयी है? क्या धनराशि आवंटन में भौगोलिक विषमता एवं जनसंख्या के अनुपात को आधार बनाया गया है? यदि नहीं, तो क्यों?	नगर विकास
श्री सुरेश राठौर 12.02.2018	44 श्रम मंत्री बताने का कष्ट करेगें कि क्या उत्तराखण्ड प्रदेश के सभी जनपदों में स्थापित उद्योगों द्वारा श्रम कानूनों का पालन किया जा रहा है? यदि नहीं, तो क्या उन पर की गई कार्यवाही वर्ष 2012–2018 तक से अवगत करायेगें?	श्रम
श्री प्रीतम सिंह पंवार 14.02.2018	45. क्या प्रशिक्षण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि वर्ष 2017–18 में प्रशिक्षण विभाग अनुदान संख्या–16 (4216–07), (4216–03) अनुदान संख्या 30 व 31 में किन–किन राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के भवनों का निर्माण प्रस्तावित किया गया है? क्या सरकार दूरस्थ व अधिक प्रशिक्षु संख्या को भवन निर्माण का मानक बनायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?	प्रशिक्षण

श्री प्रीतम सिंह पंवार 14.02.2018	46. क्या श्रम मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में श्रमिकों के हित में श्रम प्रवर्तन कार्य के सुदृढीकरण एवं विकेन्द्रीकरण हेतु जनपदों में श्रम कार्यालय स्थापित है? क्या वर्ष 2015–16 व 2016–17 में बंधुवा श्रमिकों का सर्वेक्षण व चिन्हीकरण कार्य करवाया गया था? यदि हां, तो उक्तावधि में जनपदवार बंधुवा श्रमिकों की संख्या क्या है?यदि नहीं, तो क्यों?	**श्रम**
श्री देशराज कर्णवाल 14.02.2018	47. क्या कौशल विकास एवं सेवायोजन मंत्री बताने का कष्ट करेगें कि प्रदेश में कुल कितनी आई0टी0आई0 स्थापित है तथा उनमें से कितनी आई0टी0आई0 किराये के भवन में है तथा इनके अपने भवन निर्माण हेतु सरकार की कोई योजना प्रस्तावित है? यदि हां, तो क्या? यदि नहीं, तो क्यों?	**कौशल विकास एवं सेवायोजन**
श्री सुरेन्द्र सिंह जीना 14.02.2018	48. क्या वन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उनके विभाग द्वारा पर्वतीय जिलों की नदी से मछली पकड़ने पर कोई रोक या प्रतिबन्ध लगाया गया है? यदि हां, तो क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि प्रतिबन्ध किन–किन प्रजातियों पर कब से पर्वतीय जिलों की नदियों पर लगाया गया है? क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि इस हेतु विभाग द्वारा नदियों के किनारे या सार्वजनिक स्थानों पर इस जानकारी का कोई सूचना पट्ट लगाया गया च09८ इइइददइद है ताकि क्षेत्रीय जनता नदियों से मछलियों का शिकार न करे? यदि हां, तो ऐसे कितने स्थानों पर सूचना लगाई गई है एवं उनका विवरण क्या है? यदि नहीं, तो क्यों?	**वन**
श्री दलीप सिंह रावत 14.02.2018	49. क्या पर्यावरण मंत्री अवगत कराने का कष्ट करेगें कि जनपद पौड़ी के लैसडौन तहसील के अन्तर्गत बन रहे व्यवसायी प्रतिठानों/होटलों में पर्यावरण नियमों का पालन किया जा रहा है? यदि नहीं, तो उक्त प्रतिठानों/होटलों द्वारा की जा रही गन्दगी/कूड़ा निस्तारण न किये जाने पर कोई ठोस कार्यवाही की जायेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?	**पर्यावरण**
श्री चन्दन राम दास 14.02.2018	50. **स्थगित।** ''क्या शहरी विकास मंत्री बताने का कष्ट करेगें कि नगरपालिका बागेश्वर में विगत 4 वर्षों में कुल कितनी धनराशि राज्य वित्त 13 वें व 14 वें से स्वीकृत हुई है? तद् संबंधित वर्ष वार पूर्ण विवरण सदन के पटल पर रखेगें? क्या मंत्री यह भी अवगत कराने का कष्ट करेगें कि राज्य वित्त से विगत 4 वर्षों में वर्ष 2014–15, 2015–16, 2016–17 व वर्ष 2017–18 में कौन–कौन से कार्य कराये गये हैं, कार्य का नाम व धनराशि का सम्पूर्ण विवरण प्रस्तुत करेगें? यदि नहीं, तो क्यों? ''	**शहरी विकास**

श्री सुरेश राठौर 14.02.2018	51. क्या वन मंत्री बताने का कष्ट करेगें कि विधान सभा ज्वालापुर में स्थित ग्राम बंदुरजुड से ग्राम बुग्गावाला पुल तक वन विभाग के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र में लगभग 1.5 कि0मी0 सड़क बनवाने के संबंध में कोई प्रस्ताव विचाराधीन है? यदि हां, तो क्या मंत्री जी उक्त प्रस्ताव को सदन के पटल पर रखेगें? यदि नहीं, तो क्यों?	वन
श्री हरभजन सिंह चीमा 14.02.2018	52. क्या शहरी विकास मंत्री अवगत है कि काशीपुर शहर की लक्ष्मीपुर माईनर नहर जो शहर के बीचोंबीच होकर ढेला नदी में मिलती है, के पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त होने के कारण प्रतिवर्ष बरसात के मौसम में अतिबृष्टि के कारण शहर में भारी मात्रा में जलभराव हो जाता है और शहर के व्यापारियों को प्रतिवर्ष करोड़ों रूपयों की हांनि उठानी पड़ती है? यदि हां तो क्या सरकार द्वारा इस नहर के पुर्ननिर्माण हेतु कोई कार्य योजना बनाई गई है? यदि हां, तो उसका स्वरूप क्या है? क्या मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेगें कि बरसात से पूर्व इस नहर का पुर्ननिर्माण कार्य पूरा कर लिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?	शहरी विकास
श्री धन सिंह नेगी 15.02.2018	53. क्या आयुष मंत्री अवगत है कि प्रदेश स्तर पर होम्योपैथिक चिकित्सकों के पद , प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, जिला अस्पताल में सृजित है? यदि हां, तो क्या मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश स्तर पर नियुक्त किए गये होम्योपैथिक चिकित्सकों का जिलेवार विवरण क्या है? क्या यह भी सत्य है कि सरकार आयुर्वेद की तर्ज पर ''आयुष विग'' की तरह प्रत्येक स्वास्थ्य केन्द्र पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत संविदा/मानदेय पर होम्योपैथिक चिकित्सकों की नियुक्ति करने पर विचार कर रही है? यदि नहीं, तो क्यों?	आयुष
श्री देशराज कर्णवाल 15.02.2018	54 क्या शहरी विकास मंत्री अवगत है कि उत्तराखण्ड प्रदेश में कुल कितनी मलिन बस्तियां है? क्या मंत्री जी यह भी अवगत है कि मलिन बस्तियों के नियमितिकरण हेतु पूर्व सरकार द्वारा कैबिनेट में भी प्रस्ताव लाया गया था? यदि हां, तो मलिन बस्तियों को नियमितिकरण हेतु सरकार द्वारा कोई ठोस नीति बनाई जा रही है? यदि हां, तो क्या? यदि नहीं, तो क्यों?	शहरी विकास
श्री चन्दन राम दास 15.02.2018	55 क्या वन मंत्री बताने का कष्ट करेगें कि बागेश्वर जनपद में पशुओं द्वारा कुल कितनी जनहानि हुई है, तथा कुल कितने लोग घायल हुए है? क्या मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेगें कि जनपद बागेश्वर में कुल कितनी धनराशि वितरण हेतु अवमुक्त हुई है, तथा कुल कितनी धनराशि की अभी जनपद को आवश्यकता है? तत् संबंधित	वन

का सम्पूर्ण विवरण प्रस्तुत करेगें? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री दलीप सिंह रावत 15.02.2018	56 क्या वन मंत्री बताने का कष्ट करेगें कि कार्बेट नेशनल पार्क के अन्तर्गत कालागढ़ वन प्रभाग के द्वारा कुल कितने द्वार पर्यटकों हेतु खोले गये है? क्या मंत्री इस बात से भी अवगत करायेगें, मैदा वन से दुर्गा देवी मार्ग तक पर्यटकों हेतु खोला जायेगा? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?	वन
श्री दलीप सिंह रावत 15.02.2018	57 वन मंत्री बताने का कष्ट करेगें कि क्या कार्बेट नेशनल पार्क के अन्तर्गत सेन्चुरी क्षेत्र में सड़क निर्माण में जे0सी0बी0/पाकलैण्ड जैसी मशीनों के प्रयोग की अनुमति है? यदि नहीं, तो इसके उपयोग करने वाले अधिकारियों पर कोई ठोस कार्यवाही की जायेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?	वन
श्री देशराज कर्णवाल 16.02.2018	58 क्या वन मंत्री अवगत है कि राज्य के वन क्षेत्रों में गर्मी के मौसम में आग लगने के कारण पर्यावरण, वन्य जीव जन्तुओं तथा वन सम्पदा को क्षति पहुॅचती है? इस भीषण अग्निकाण्ड में आग बुझाने से कितने लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी? हरिद्वार जनपद में अब तक कितने प्रकरण दर्ज है और उन पर क्या कार्यवाही की गई है? जंगलों में प्रतिवर्ष लगने वाली आग को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रभावी कदम उठाये गये है? यदि नहीं, तो क्यों?	वन
श्रीमती ममता राकेश 16.02.2018	59. क्या कौशल विकास एवं सेवायोजन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि वर्ष 2017–18 तक प्रदेश में कुल कितने पंजीकृत बेरोजगार है एवं उनकी संख्या जनपदवार कितनी है, क्या सरकार उक्त से सम्बन्धित सम्पूर्ण विवरण देगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?	कौशल विकास एवं सेवायोजन
श्री महेन्द्र भट्ट 19.02.2018	60. क्या वन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि भेड़ पालक जो कि पीढ़ियों से शीतकालीन मुॅह चुगान हेतु रामनगर वन प्रभाग से अनुमति लेते हुए चुगान कराते थे, उन्हें वर्ष 2016–17 में चुगान की स्वीकृति न दिए जाने के क्या कारण है? क्या सरकार इन्हें पुनः अनुमति देने पर विचार करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?	वन

श्री देशराज कर्णवाल 19.02.2018	61. विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त। सेवायोजन मंत्री बताने का कष्ट करेगें कि प्रदेश में बी0एड0, बी0पी0एड0 तथा टी0ई0टी0 उत्तीर्ण/प्रशिक्षित बेरोजगारों की संख्या क्या है? क्या मंत्री जी बतायेगें कि ऐसे प्रशिक्षित बेरोजगारों को रोजगार कब तक उपलब्ध करा दिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?	सेवायोजन
श्री देशराज कर्णवाल 20.02.2018	62. क्या सेवायोजन मंत्री बताने का कष्ट करेगें कि प्रदेश में जनपदवार प्रशिक्षित एवं अप्रशिक्षित बेरोजगारों की संख्या कितनी है? अब तक सरकार द्वारा लगाये जा रहे बेरोजगार मेलों में कितने बेरोजगार युवाओं को नौकरी मिली है? क्या सरकार इन प्रशिक्षित एवं अप्रशिक्षित बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए ठोस व प्रभावी कार्ययोजना बनाने पर विचार कर रही है? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?	सेवायोजन
श्री यतीश्वरानन्द 20.02.2018	63. क्या वन मंत्री अवगत है कि विधान सभा क्षेत्र हरिद्वार ग्रामीण के ग्राम मिस्सरपुर, पंजनहेड़ी, कटारपुर, चॉदपुर, फेरूपुर, रानी माजरा, शाहपुर, भोगपुर, तिलकपुरी आदि ग्रामों में जंगली जानवरों में मुख्यतः हाथी और नील गाय किसानों की फसलों को मुख्यतः रात में रौंदते है, जिससे फसलें पूरी तरह नष्ट हो जाती है, जिस कारण किसानों के लिए आर्थिक संकट पैदा हो जाता है? क्या सरकार उक्त सभी ग्रामों में सुरक्षा दीवार का प्रबन्ध कर रही है? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?	वन
श्री सुरेश राठौर 20.02.2018	64. क्या शहरी विकास मंत्री बताने का कष्ट करेगें कि उत्तराखण्ड प्रदेश के स्थानीय नगर निकायों द्वारा संचालित किये जा रहे कांजी हाउस हेतु बजट आवंटन (वर्ष 2017–18) किया गया है? यदि हां, तो क्या विवरण सदन में प्रस्तुत करेगें? यदि नहीं, तो क्यों?	शहरी विकास
श्री सुरेश राठौर 20.02.2018	65. क्या वन मंत्री बताने का कष्ट करेगें कि उत्तराखण्ड प्रदेश में वन विभाग में पशु चिकित्सा अधिकारियों के पद सृजित है? यदि हां, तो तदनुसार विभिन्न नियुक्ति अधिकारियों का विवरण सदन में प्रस्तुत करेगें? यदि नहीं, तो क्यों? क्या मंत्री जी यह बताऐगें कि उक्त के संबंध में ढांचा/नियमावली स्वीकृत है? यदि हां, तो विवरण सदन में प्रस्तुत करेगें? यदि नहीं, तो क्यों?	वन
श्री पूरन सिंह फर्त्याल 20.02.2018	66. क्या वन मंत्री अवगत है कि नगर पंचायत लोहाघाट, नगरपालिका क्षेत्र के अन्तर्गत प्राकृतिक रूप से गिरे देवदार के वृक्षों को काटकर नीलामी किये जाने हेतु अधिकृत है? यदि हां, तो तद्संबंधी शासनादेश क्या है? क्या नगरपालिका को वृक्षों के पातन का अधिकार है?	वन

श्री पूरन सिंह फर्त्याल 20.02.2018	67. क्या वन मंत्री बताने का कष्ट करेगें कि नगरपंचायत लोहाघाट के अधीन नगर पंचायत द्वारा बेनाप भूमि में खड़े क्षतिग्रस्त पेड़ों की नीलामी की गयी है और इस नीलामी से प्राप्त धनराशि क्या राज्य सरकार के संबंधित खाते में जमा है? यदि हां, तो तद्संबंधी ब्यौरा क्या है? यदि नहीं, तो क्यों?	वन
श्री पूरन सिंह फर्त्याल 20.02.2018	68. क्या वन मंत्री बताने का कष्ट करेगें कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पी0एम0जी0एस0वाई0) के अन्तर्गत रीठाटूकोण एवं टाकखण्डक बालातड़ी सड़क मार्ग जिसके निर्माण हेतु डी0पी0आर0 स्वीकृत है, को वन विभाग द्वारा लम्बे समय से फॉरेस्ट क्लीयरेंस न मिल पाने के कारण उपरोक्त दोनों सड़कों का निर्माण कार्य रूका हुआ है? क्या उक्त दोनों सड़कों के निर्माण हेतु फॉरेस्ट क्लीयरेंस का कार्य पूर्ण कराया जायेगा? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?	वन
श्री पूरन सिंह फर्त्याल 20.02.2018	69. क्या वन मंत्री अवगत है कि नगरपालिका लोहाघाट क्षेत्रान्तर्गत प्राकृतिक रूप से गिरे देवदार के वृक्षों को काटकर उन वृक्षों की अवैध नीलामी की गयी है? यदि हां, तो वन विभाग द्वारा संबंधित के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गयी है? यदि नहीं, तो क्यों?	वन
श्री सुरेश राठौर 21.02.2018	70. क्या शहरी विकास मंत्री बताने का कष्ट करेगें कि उत्तराखण्ड प्रदेश के स्थानीय/नगर निकायों के क्षेत्रों में आवारा विचरण करने वाले पशुओं से नागरिकों को हाने वाली समस्या से निजात दिलाने हेतु कोई ठोस योजना है? यदि हां, तो उसका विवरण सदन में रखेगें? यदि नहीं, तो क्यों? भविष्य में अतिशीघ्र ही इस हेतु क्या कदम उठाये जायेगें?	शहरी विकास
श्री देशराज कर्णवाल 21.02.2018	71. क्या पर्यावरण मंत्री बताने का कष्ट करेगें कि प्रदेश में स्थापित उद्योगों के पर्यावरणीय मानकों की समय–समय पर जॉच हेतु सरकार की कोई नीति है अथवा नहीं? यदि हां, तो हरिद्वार की कितनी फैक्ट्रियों की जॉच की गई है तथा क्या कार्यवाही की गई है? यदि नहीं, तो क्यों?	पर्यावरण
श्री प्रीतम सिंह पंवार 21.02.2018	72. क्या प्रशिक्षण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राज्य के राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रधानाचार्य, व्याख्याता के कुल कितने पद स्वीकृत है? स्वीकृत पदो के सापेक्ष कुल कितने पद रिक्त चल रहे है? रिक्त पदों पर कब तक तैनाती की जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?	प्रशिक्षण

श्री प्रीतम सिंह पंवार 21.02.2018	73. क्या वन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में वानस्पतिक विविधता की कौन–कौन सी प्रजातियां है? इनमें से दुर्लभ एवं संकटग्रस्त प्रजातियां कौन–कौन है? क्या सरकार दुर्लभ एवं संकटग्रस्त प्रजातियों के संरक्षण एवं सम्बर्द्धन के लिए कोई कार्ययोजना तैयार कर रही है? यदि हां, तो वह क्या है? यदि नहीं, तो क्यों?	वन
श्री प्रीतम सिंह पंवार 21.02.2018	74. क्या वन मंत्री अवगत है कि राज्य में 12168 वन पंचायतें गठित है, जिनके अधीन 7333.95 वर्ग किमी. क्षेत्रफल आता है? क्या यह सत्य है कि प्रबन्धन हेतु वन विभाग की ओर से अब तक कोई व्यवस्था नहीं की गई, जिस कारण वन पंचायतों के गठन का उद्देश्य बुरी तरह प्रभावित हो रहा है? क्या सरकार वन पंचायतों के सशक्तिकरण हेतु प्रभावी कार्यवाही करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?	वन
श्री प्रीतम सिंह पंवार 21.02.2018	75. क्या श्रम मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में श्रमिकों व नियोजकों के मध्य वर्ष 2015–16 व वर्ष 2016–17 में उत्पन्न कुल कितने विवाद विविध औद्योगिक न्यायाधिकरणों तथा श्रम न्यायालयों में कब से निस्तारण हेतु लम्बित अथवा विचाराधीन है? इन लम्बित व विचाराधीन वादों का कब तक निस्तारण व निपटारा करा लिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?	श्रम
श्री देशराज कर्णवाल 22.02.2018	76. क्या वन एवं पर्यावरण मंत्री अवगत है कि जनपद हरिद्वार का वन क्षेत्र बढ़ती आबादी तथा उद्योगों एवं ईट भट्टों के प्रदूषण से लगातार कम हो रहा है इन कारणों को दृष्टिगत रखते हुए क्या सरकार वन क्षेत्र संरक्षण के लिए कुछ विशेष कदम उठाने की योजना रखती है? यदि हां, तो क्या? यदि नहीं, तो क्यों?	वन एवं पर्यावरण
श्री धन सिंह नेगी 22.02.2018	77. क्या श्रम मंत्री अवगत है कि राज्य में कार्यरत विभिन्न कम्पनियां अपने कर्मचारियों का भविष्य निधि (ई0पी0एफ0) जमा करवाती है? यदि हां, तो क्या मंत्री राज्य में कार्यरत कम्पनियों द्वारा ई0पी0एफ0 भविष्य निधि कोष में धनराशि नियमित जमा करवाने का विवरण उपलब्ध कराने का कष्ट करेगें? यदि नहीं, तो क्यों?	श्रम
श्री महेन्द्र भट्ट 22.02.2018	78. क्या वन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जनपद चमोली के दूरस्थ क्षेत्र जोशीमठ की सड़क हेलंग–उर्गम से किमाणा, डुमक मोटर मार्ग वन स्वीकृति के लिए विचाराधीन है? यदि हां, तो उक्त मार्ग की वन स्वीकृति कब तक प्रदान कर दी जाएगी? यदि नहीं, तो क्यों?	वन
श्री महेन्द्र भट्ट 22.02.2018	79 क्या आयुष मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद चमोली के जड़ी–बूटी शोध एवं विकास संस्थान मण्डल (गोपेश्वर) में चिकित्सकीय संकाय फैकल्टी न खोले जाने के क्या कारण रहे? क्या मुख्यमंत्री यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि उक्त के स्थान पर सरकार उक्त संस्थान	आयुष

में बी0ए0एम0एस0 संस्थान के रूप में संचालित करने पर विचार करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री प्रीतम सिंह पंवार 22.02.2018	80 क्या वन एवं पर्यावरण मंत्री बताने का कष्ट करेगें कि राज्य में वन्यजीवों से 2016–17 में मारे गये पालतू पशुओं की जनपदवार संख्या क्या है? क्या मंत्री बतायेगें कि वर्ष 2016–17 में ऐसे प्रकरणों पर विभाग द्वारा भुगतान किये जाने वाली अनुतोष की धनराशि का भुगतान प्रभावितों को कराया जा चुका है? क्या मंत्री यह भी बतायेगें कि विभाग द्वारा दिए जाने वाले वर्तमान अनुतोष राशि काफी कम है? क्या सरकार ऐसे में प्रतिकर अथवा अनुतोष की राशि को बढ़ाये जाने पर विचार कर रही है? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?	वन एवं पर्यावरण
श्री प्रीतम सिंह पंवार 22.02.2018	81 क्या वन एवं पर्यावरण मंत्री बताने का कष्ट करेगें कि पर्यावरण एवं जैव विविधता को बनाये रखने की दिशा में वनों के अन्तर्गत चीड़ की पत्तियों (पिरूल) तथा लैण्टाना गाजर घास आदि से जलौनी लकड़ी के विकल्प के रूप में वृक्ष इत्यादि विकसित कर जनता की आवश्यकता के अनुसार ईधन की आपूर्ति, वनाग्नि को कम करने तथा स्थानीय जनता को संग्रहण कार्य में लगाकर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये जाने की योजना पर कार्य किया जा रहा है? यदि हां, तो अब तक कुल कितना कार्य हुए है और कितने लोग इस योजना से लाभान्वित हुए है? यदि नहीं, तो क्यों?	वन एवं पर्यावरण
श्री आदेश चौहान 22.02.2018	82 क्या श्रम मंत्री अवगत है कि सिडकुल हरिद्वार के उद्यमी एवं श्रमिक लम्बे समय से ई0एस0आई0सी0 अस्पताल बनाये जाने की मांग कर रहे है, किन्तु स्वीकृति के बावजूद भी अभी तक इस अस्पताल का निर्माण नहीं हुआ है? यदि हां, तो क्या सरकार इस अस्पताल का निर्माण कराने पर विचार कर रही है? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?	श्रम
श्री आदेश चौहान 22.02.2018	83 क्या वन मंत्री अवगत है कि 26–बी0एच0ई0एल0 रानीपुर विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत सुभाषनगर, ज्वालापुर, शिवालिक नगर में पिछले दिनों से बन्दरों का भारी आतंक है तथा बन्दरों के हमले की बहुत घटनायें घट रही है? यदि हां, तो क्या उक्त स्थानों से बन्दरों को पकड़ कर कही बाहर जंगल में भेजने या बन्दरों में बधियाकरण की कोई योजना बना रही है? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?	वन
श्री महेन्द्र भट्ट 23.02.2018	84. क्या श्रम मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि श्रम विभाग द्वारा असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का पंजीयन जिला स्तर पर करने की व्यवस्था थी? यदि हां, तो जनपद चमोली में श्रमिकों का पंजीयन किन कारणों से बंद कर दिया गया है? क्या सरकार उक्त पंजीयन को जिला एवं विकास खण्ड स्तर पर विचार कर रही है? यदि नहीं, तो	श्रम

क्यों?

श्री महेन्द्र भट्ट
23.02.2018

85. क्या नगर विकास मंत्री अवगत है कि जनपद चमोली विकास खण्ड पोखरी के अन्तर्गत नगर पंचायत पोखरी में कार्यरत पर्यावरण मित्र मात्र 7500/– प्रतिमाह की दर से वेतन दिया जाता है? यदि हां, तो क्या सरकार इन पर्यावरण मित्रों को अन्य निकायों की तरह सुविधाऐं देने पर विचार करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

नगर विकास

श्री महेन्द्र भट्ट
23.02.2018

86. क्या प्रशिक्षण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि आई0टी0आई0 पोखरी (चमोली) के भवन निर्माण का कार्य हेतु कुल कितनी धनराशि की स्वीकृति प्रदान की गयी है? क्या भवन निर्माण का कार्य निर्माण एजेन्सी द्वारा पूर्ण कर दिया गया है? यदि नहीं तो क्यों? क्या सरकार द्वारा निर्माण एजेन्सी पर कार्यवाही की जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

प्रशिक्षण

श्री देशराज कर्णवाल
23.02.2018

87. **द्वितीय बुधवार के अतारांकित 25 में स्थानान्तरित।**

''क्या श्रम मंत्री बताने का कष्ट करेगें कि प्रदेश में स्थापित राजकीय आई0टी0आई0 में स्वीकृत पदों के सापेक्ष कार्यरत कर्मचारियों में एस0सी0एस0टी0 एवं ओ0बी0सी0 वर्ग का कोटा नियमानुसार पूर्ण है? यदि नहीं, तो क्यों?''

श्रम

श्री देशराज कर्णवाल
23.02.2018

88. क्या आवास मंत्री अवगत है कि जनपद हरिद्वार के ग्रामीण क्षेत्रों में भी विनियमित क्षेत्र में सम्मिलित कर लिया गया है? क्या सरकार ग्रामीणों की कमजोर आर्थिक स्थिति के मद्देनजर ग्रामीण क्षेत्रों को विकास शुल्क से मुक्त करने पर विचार कर रही है अथवा नहीं, यदि नहीं, तो क्यों?

आवास

श्री आदेश चौहान
23.02.2018

89. क्या श्रम मंत्री अवगत है कि उत्तराखण्ड का अपना न्यूनतम मजदूरी अधिनियम अभी तक नहीं बना है एवं अभी तक उत्तर प्रदेश के एक्ट के अनुसार ही श्रमिकों को वेतन दिया जाता है? यदि हां, तो क्या सरकार अपना श्रमिक न्यूनतम वेतन एक्ट बनाने पर विचार कर रही है? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रम

श्री आदेश चौहान 23.02.2018	90. क्या शहरी विकास मंत्री अवगत है कि कुम्भ मेला क्षेत्र हरिद्वार के क्षेत्र से पूर्व में ज्वालापुर, जगजीतपुर, सीतापुर, बी0एच0ई0एल0 शिवालिकनगर, बहादराबाद को निकाल दिया गया है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त क्षेत्र को पुनः कुम्भ मेला क्षेत्र हरिद्वार में शामिल करने पर विचार कर रही है? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?	शहरी विकास
श्री देशराज कर्णवाल 26.02.2018	91. **विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त।** ''क्या प्रशिक्षण मंत्री बताने का कष्ट करेगें कि प्रदेश की समस्त आई0टी0आई0 से प्रतिवर्ष कितने छात्र अपना प्रशिक्षण पूर्ण करके निकलते है तथा उनमें से कितने छात्रों को रोजगार मिलता है? क्या सरकार आई0टी0आई0 प्रशिक्षण प्राप्त युवाओं को रोजगार सुनिश्चित करने की कोई योजना बना रही है? यदि हां, तो क्या? यदि नहीं, तो क्यों?''	प्रशिक्षण
श्री महेन्द्र भट्ट 26.02.2018	92. क्या प्रशिक्षण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे जनपद चमोली के विकास खण्ड पोखरी के जिलासू में नई आई0टी0आई0 खोलने का शासनादेश जारी कर दिया गया है? यदि हां, तो वर्तमान में आई0टी0आई0 का संचालन किस स्थान पर हो रहा है तथा कुल कितने छात्रों ने प्रवेश लिया है? यदि नहीं, तो क्यों?	प्रशिक्षण
श्री राजकुमार 27.02.2018	93. क्या श्रम मंत्री बताने का कष्ट करेगें कि अभी तक श्रम विभाग द्वारा कौन–कौन सी योजनाऐं कुशल व अकुशल श्रमिकों के लिए चलाई जा रही है और किन–किन विधान सभाओं को इसका लाभ मिला है?क्या पुरोला विधान सभा इसमें शामिल है? यदि हां, तो उन श्रमिकों को दिये जाने वाले लाभों की वर्तमान स्थिति क्या है? क्या मनरेगा श्रमिक इसके अन्तर्गत आते है? यदि हां, तो इनको अभी तक क्या–क्या लाभ मिला है?	श्रम
श्री देशराज कर्णवाल 27.02.2018	94. **चतुर्थ सोमवार के अता0 54 में स्थानान्तरित।** ''क्या आवास मंत्री बताने का कष्ट करेगें कि जनपद हरिद्वार के ग्रामीण क्षेत्र में कितने आवासहीन परिवार है तथा झबरेड़ा विधान सभा क्षेत्र में कितने आवासहीन परिवार है? क्या सरकार की इन आवासहीन परिवारों को आवास देने की कोई योजना है? यदि हां, तो क्या? यदि नहीं, तो क्यों?''	आवास

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी **06.02.2018**	95. कौशल विकास एवं सेवायोजन मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि क्या कर्णप्रयाग विधान सभा के अन्तर्गत नैनीसैंण में आई0टी0आई0 संस्थान की स्वीकृति प्रदान की गई है? यदि हां, तो उक्त आई0टी0आई0 की स्थापना कब और किस शासनादेश द्वारा की गई है तथा इसके लिए कितना बजट स्वीकृत किया गया है? यदि हां, तो इस पर कब से कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा तथा कितने कार्मिकों के पद स्वीकृत किये गये है व इसके पठन–पाठन कार्य किस सत्र से प्रारम्भ किया जाऐगा? यदि हां, तो भवन निर्माण होने तक क्या पठन–पाठन कार्य किराये के भवन पर किराये जाने की सम्भावना है?	**कौशल विकास एवं सेवायोजन**

नत्थी "ग"

श्री राज्यपाल के अभिभाषण के लिए धन्यवाद प्रस्ताव में संशोधन।

क्र.सं.	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रुप
1.	डा0 इन्दिरा हृयदेश श्री प्रीतम सिंह	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाएः-

किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने भाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :-

1. उत्तराखण्ड की राजधानी के सम्बन्ध में सरकार द्वारा कोई स्पष्ट घोषणा किये जाने,
2. आपदा के दौरान जो क्षेत्र बर्बाद हुए थे एवं गाँव खाली हो चुके हैं उनके पुनर्वास के सम्बन्ध में कोई ठोस नीति बनाये जाने,
3. नदियों की सफाई, तटों का सौन्दर्यीकरण तथा नदियों के समस्त क्षेत्रों को पर्यटन के रूप में विकसित किये जाने के सम्बन्ध में कोई नीति बनाये जाने,
4. पलायन रोकने के लिए पर्वतीय ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योग, लघु उद्योग स्थापित करने के सम्बन्ध में कोई ठोस योजना बनाये जाने,
5. प्रधानमंत्री जी द्वारा प्रतिवर्श दो करोड़ युवाओं को रोजगार देने का वादा पूरा किये जाने के सम्बन्ध में कोई नीतिगत निर्णय लिये जाने,
6. किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिये जाने के सम्बन्ध में कोई नीति निर्धारित किये जाने,
7. सरकार द्वारा किसानों की उपज के मूल्य को डेढ़ गुना बढ़ाये जाने,
8. जो जल स्रोत सूख चुके है उनको रिचार्ज करने के लिए कोई ठोस कदम उठाये जाने,
9. पत्रकारों को आवासीय सुविधा, सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में कोई ठोस नीति निर्धारित किये जाने,
10. गरीबों के लिए निःशुल्क चिकित्सा व्यवस्था के सम्बन्ध में कोई ठोस कदम उठाये जाने,
11. पूर्ववर्ती सरकार द्वारा द्वारा रियायती दरों पर चलाई गई हैली सेवाओं को जारी रखे जाने,
12. पर्वतीय क्षेत्रों के बीमार लोगों को हैली सेवा का लाभ दिये जाने के सम्बन्ध में कोई ठोस नीति बनाये जाने,
13. समय सीमा के अंदर गन्ना किसानों को घोषित मूल्य का भुगतान किये जाने,

14. सितारगंज चीनी मिल बंद होने के फलस्वरूप कर्मचारियों के वेतन आदि के सम्बन्ध में स्पष्ट नीति बनाये जाने,
15. चारों धामों की यात्रा को रोपवे से जोड़ने,
16. ऐतिहासिक अर्न्तराष्ट्रीय जौलीजीवी मेले को राष्ट्रीय स्तर का मेला घोषित करने,
17. उत्तराखण्ड के पहाड़ी किसानों की खेती जैसे हल्दी, मिर्च, कीनू, अखरोट, माल्टा, अनारदाना, नींबू, गहत, सेब, मढुआ, झिंगोरा आदि पहाड़ी फसलों का समर्थन मूल्य दिया जाने,
18. चीनी उद्योग का आधुनिकीकरण किये जाने,
19. ओलावृष्टि एवं अन्य दैवीय आपदाओं से किसानों की खराब फसल का मुआवजा दिये जाने,
20. किसानों को सही समय पर उर्वरक एवं कीटनाषक उपलब्ध कराये जाने,
21. महिलाओं की सुरक्षा, आवागमन भय मुक्त हो इस सम्बन्ध में कोई नीति घोषित करने,
22. व्यापारियों द्वारा नोटबंदी और जी0एस0टी0 की वजह से की जाने वाली आत्महत्या के सम्बन्ध में कोई समाधान निकाले जाने।

2. काजी मौ0 निजामुद्दीन — प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाएः-
किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने भाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया

1. प्रदेश में बेरोजगार युवाओं के लिए समयबद्ध एवं योजनाबद्ध तरीके से रोजगार सुनिश्चित किये जाने,
2. प्रदेश में सरकारी नौकरी में एस0सी0/ एस0टी0 आरक्षण का बैकलाग समयवद्ध तरीके से पूर्ण करने,
3. प्रदेश में रोजगार कार्यालयों को कैरियर केन्द्र के रुप में परिवर्तन करने,
4. प्रदेश में अल्पसंख्यक, शैक्षणिक व्यवस्था और संस्थानों को सशक्त एवं आधुनिक करने,
5. प्रदेश में आर्थिक रुप से कमजोर युवाओं के कौशल विकास व उनको व्यवसाय को अधिक कुशल अवसर प्रदान करने के लिए नई योजनाएं बनाने,
6. प्रदेश भर के गांवों के विकास के लिए ग्रामीण हाट का जाल बिछाना और गांवों में शहरों जैसी सुविधाएं मुहैया कराने,
7. प्रदेश में कुटीर और छोटे उद्योगों में कार्यरत परंपरागत कारीगरों को अपनी क्षमताओं का विकास हेतु ऋण सुविधा और बाजार से जुड़ाव करने में मदद देने,
8. राज्य के प्राकृतिक व मानवीय संसाधनों का दोहन कर उन्हें पश्चिमी देशों के बराबर ला खड़ा करने,
9. प्रदेश में महिलाओं के विशेष हुनर, प्रशिक्षण के लिए कारोबारी पार्क बनाने,
10. प्रदेश में पुलिस स्टेशनों को महिलाओं के लिए अनुकूल बनाना और विभिन्न स्तरों पर पुलिस में महिलाओं की संख्या बढ़ाने,
11. प्रदेश में मेडिकल और समस्त तकनीकी शिक्षा को सस्ता करने,
12. प्रदेश में सस्ते गल्ले की दुकानों पर गत वर्ष बढ़ाई गई कीमतों को कम करने,

13. प्रदेश के समस्त विभागों में खर्च होने वाले विकास कार्यों में पारदर्शिता के साथ क्रमबद्ध एवं समयबद्ध तरीके से माहवार धन खर्च सुनिश्चित करने,
14. प्रदेश में जिला तहसील, ब्लाक एवं क्षेत्रीय स्तर पर तैनात अधिकारियों को सप्ताह में कम से कम 4 दिन 11 से 4 पी0एम0 तक सम्बन्धित कार्यालयों में जनता से मिलने हेतु उपलब्धता सुनिश्चित करने,
15. प्रदेश के लोक निर्माण विभाग के समस्त ठेकेदारों का यथाशीघ्र भुगतान करने,
16. प्रदेश में एम0सी0डी0पी0 और एस0सी0पी0 के अन्तर्गत धन का 100 प्रतिशत व्यय सुनिश्चित करने,
17. विधान सभा क्षेत्र मंगलौर में स्टेडियम की घोषणा करने,
18. विधान सभा क्षेत्र मंगलौर और नारसन सी0एच0सी0 में पूर्ण स्टाप के साथ आधुनिकीकरण किये जाने,
19. जनपद हरिद्वार के अन्तर्गत नारसन ब्लाक के माइन कैनाल एवं राजबारों की सफाई प्रति वर्ष करने,
20. प्रदेश में गन्ने का भुगतान यथाशीघ्र किये जाने,
21. प्रदेश से बाहर का अवैध गन्ना राज्य की चीनी मिलों में पूर्णतः रोकने,
22. प्रदेश में सामान्य प्रजाति के गन्ने की सप्लाई चीनी मिलों द्वारा न लेने,
23 जनपद हरिद्वार के अन्तर्गत मंगलौर एवं अन्य नगरीय क्षेत्रों में ठोस कूड़ा निस्तारण के लिए ट्रैचिंग ग्राउंड उपलब्ध कराने,
23. जनपद हरिद्वार के अन्तर्गत मंगलौर बस अड्डे पर उत्तराखण्ड रोडवेज की समस्त बसों की रुकने
24. जनपद हरिद्वार के अनतर्गत मंगलौर के राजकीय विद्यालयों में आर0टी0ई0 के मानकों के अनुसार भवन एवं शिक्षकों का नियुक्ति किये जाने,
26. पर्यटन की दृष्टि से उत्तराखण्ड राज्य को मच्छर एवं मक्खी मुक्त घोषित करने,
27. प्रदेश में मदरसा आधुनिकीकरण योजना के अन्तर्गत तैनात शिक्षकों को दो साल से वेतन न मिलने,

3\. श्री आदेश सिंह चौहान — प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाए:-

किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने भाषण में निन्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है:-

1. जिला ऊधमसिंह नगर के जसपुर विधान सभा में बस अड्डे की घोषणा किये जाने,
2. स्टेडियम के अधूरे कार्य को पूर्ण करने की घोषणा किये जाने,
3. तहसील भवन व उप जिलाधिकारी भवन की घोषणा किये जाने,
4. 15 दिन में गन्ने का भुगतान की घोषणा किये जाने,
5. दि किसान सहकारी चीनी मिल राजपुर, पुरनपुर नादेही के नवीनीकरण की घोषणा किये जाने,
6. जसपुर विधान सभा क्षेत्र में फीका नदी व ढेला नदी द्वारा भू कटाव को रोकने की व्यवस्था करने की घोषणा किये जाने,
7. जसपुर विधान सभा क्षेत्र में तुमरियाडाम (भोगपुर) में लगभग 10000 (दस हजार) आबादी है उसको राजस्व गांव घोषित किये जाने,
8. सी0एच0सी0 जसपुर में एम0आर0आई0, सीटी स्कैन मशीन की घोषणा किये जाने,

9. जसपुर विधान सभा क्षेत्र में मोटर मार्गो के निर्माण की घोषणा किये जाने, युवा बेरोजगार को समय-समय पर रोजगार देने की घोषणा किये जाने,

4. श्री राजकुमार

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाएः-

किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने भाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया हैः-

1. जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा पुरोला में महिला पालिटैक्निक कॉलेज एवं नर्सिंग प्राथमिकता के आधार पर खोले जाने का,
2. जनपद उत्तरकाशी के पुरोला विधान सभा में नगदी फसलों को बढ़ावा देने के लिए फल पट्टी घोषित किये जाने का,
3. उत्तरकाशी के पुरोला विधान सभा के मोरी ब्लॉक में आलू विपणन के केन्द्र खोले जाने का,
4. पुरोला विधान सभा के नौगांव, पुरोला में फूलों सहित संगध पौधों की खेती के लिए कलस्टर एवं मोरी विकास खण्ड में जैविक खेती व जड़ी बूटी की खेती को बढ़ावा दिये जाने का,
5. विधान सभा क्षेत्र पुरोला के रवाई घाटी में केस क्रोप को बढ़ावा देने के लिए नगदी फसलों का समर्थन मूल्य घोषित किये जाने का,
6. जनपद उत्तरकाशी के पुरोला विधान सभा में लगभग पौने दो लाख की आबादी पर महज एक डॉक्टर स्थाई रुप से तैनात है जो विधान सभा पुरोला के जनभावनाओं के साथ अन्याय पूर्ण बर्ताव है तथा पूरे विधान सभा के स्वास्थ्य केन्द्र महज रैफर सैक्टर की भूमि का निभा रहा है। विधान सभा पुरोला में लगभग पौने दो लाख की आबादी पर महज एक गाईनोलॉजिस्ट तैनात है जिससे क्षेत्र की गर्भवती महिला को काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है यहां तक कि कई माताएं इस दौरान उचित स्वास्थ्य चिकित्सा न मिलने का
7. आयुर्वेदिक ए एलौपैथिक चिकित्साकों की पुरोला विधान सभा में तैनात चिकित्सकों के अन्यत्र स्थानों पर व्यवस्था की गई है इन्हे मूल स्थान पर वापस तैनात किए जाने,
8. जनपद उत्तरकाशी के पुरोला विधान सभा में प्राथमिक विद्यालय व राजकीय महाविद्यालय में शिक्षकों के रिक्त पदों पर तैनात किये जाने,
9. जनपद उत्तरकाशी के पुरोला विधान सभा के अन्तर्गत पुरोला गुन्दियाटगांव, मोटर मार्ग का चौड़ीकरण पुरोला, कुमोला, नौरी, गढोली, मोटर मार्ग का चौड़ीकरण पुरोला, मैरणा, ढकाड़ा, कुफारा रोड़ का चौड़ीकरण का कार्य किये जाने,
10. पुरोला विधान सभा के अनुसूचित जाति गांवों के मोटर मार्गो का डामरीकरण होना है जैसे अंगोड़ा, श्रीकोट का लगभग 3 किलोमीटर डैरिका कुकडाला लगभग 2 किलोमीटर बिजौरी भौंती मोटर मार्ग डामरीकरण, सिमल सारी मोटर मार्ग का डामरीकरण किये जाने,
11. पुरोला विधान सभा के नौगांव मुलाणा यमुना नदी नौगांव में झूला पुल का निर्माण किये जाने,
12. पुरोला विधान सभा के कमल नदी के तट पर सौन्दर्यकरण हेतु लगभग 1 किलोमीटर कृत्रिम झील का निर्माण किये जाने,

13. पुरोला विधान सभा में चीड़ की पत्तियों पर आधारित कोयला तथा गत्ता उद्योग लगाने का,
14. जनपद उत्तरकाशी के पुरोला विधान सभा क्षेत्र में नौगांव के कुआँ, यमुना तट पर बाढ़ सुरक्षा कार्य किये जाने,
15. राज्य में विधान परिषद का गठन किया जाने व कर्मचारी समन्वय परिषद का गठन प्रदेश के सभी ग्रामों को 2018 तक पेयजल उपलब्ध कराये जाने,
16. प्रदेश में आज 13वीं पंचवर्षीय योजना बनाये जाने,
17. मान्यवर दूरस्थ क्षेत्रों में जो कर्मचारी काम करते जैसे आर्मी के लोग है उनके बच्चों के लिए शिक्षा में आरक्षण होता है। ऐसा ही दूरस्त बर्फीले क्षेत्रों में जो कर्मचारी काम करते हो चाहें व वन विभाग का हो स्वास्थ्य विभाग अथवा शिक्षा विभाग में कार्यरत कर्मचारियों के बच्चों के लिए आरक्षण होना चाहिए तथा उनके परिवारों के लिए फैमिली क्वार्टर व्यवस्था होनी चाहिए। इसके लिए जिला मुख्यालय/राजधानी में व्यवस्था किये जाने,
18. कर्मचारियों के जो सेवा से सम्बन्धि तमामले होते हैं। उनके निस्तारण के लिए समयवद्ध तरीके से निस्तारण किये जाने,
19. जिस तरह समर्थन मूल्य योजना घोषित की जाती है, जिसमें मैदान, किसान गेहूँ, चावल पैदा करता है। भारत सरकार उनका हर वर्ष समर्थन मूल्य योजना घोषित करती है ताकि किसानों को उचित दाम मिल सके जिससे रोजी-रोटी बच्चों का लालन-पालन हो सके इसके लिए समर्थन मूल्य घोषित होता है। लेकिन हमारा प्रदेश उत्तराखण्ड के पहाड़ी क्षेत्र है अतः अनाज का समर्थन मूल्य उचित रुप से तय किये जाने,
20. गमरा पुल से गढ तक (अम्बेदकर रोड) डबल कटिंग कराये जाने,
21. सिमलसाटी के दारसों गौतम रोड का निर्माण किये जाने,
22. धारी कलोगी में पी0डब्ल्यू0डी0 गेस्ट हाउस बनाये जाने,
23. सरी गाड से कन्डारी रोड का डामरीकरण किये जाने,
24. डामटा में पी0डब्ल्यू0डी0 गेस्ट हाउस निरीक्षण भवन की स्थापना किये जाने,
25. नौगांव से स्योरी रोड का निर्माण किये जाने,
26. छमरौटा से भकोली रोड का निर्माण की स्वीकृति दिये जाने,
27. लाखा मण्डल से भंकोली रोड का कार्य किये जाने,
28. खावली गुन्दियाट गांव मोटर मार्ग का डामरीकरण सौन्दर्यकरण चौड़ीकरण सुधारीकरण किये जाने,
29. पुरोला, कुमोला, मोरी, गडोली मोटर मार्ग का डामरीकरण सुधारीकरण किये जाने,
30. पुरोला कमल नदी मोटर मार्ग को गुन्दियाटगांव तक विस्तारीकरण एवं डामरीकरण निर्माण कार्य किये जाने
31. अगोडा श्रीकोट मोटर मार्ग का डामरीकरण किये जाने,
32. नौगांव पुरोला, मोरी, त्यूनी मोटर मार्ग का सुदृढ़ीकरण किये जाने,
33. यमुना पुल से लेकर नौगांव व पुरोला मोरी नैटवाड साकड़ी तक व त्यूनी आराकोट तक टीप फीलर (सुरक्षात्मक) कार्य किये जाने,
34. हुडोली पानीगांव मोटर मार्ग के मातला से सैज मोटर मार्ग का निर्माण किये जाने,

35. गोकुल झोटाडी कि0मी0 बाउवा बैंड निर्माण किये जाने,
36. बागी से सल्ला मोरा मोटर मार्ग का निर्माण किये जाने,
37. आराकोट से टडियार मोटर मार्ग का निर्माण किये जाने,
38. भुटाणू मैजाणी मोटर मार्ग का निर्माण किये जाने,
39. खुनीगाड़ (गाला) पाली बिन्दी मोटर मार्ग का निर्माण किये जाने,
40. थली से सरास मोटर मार्ग का निर्माण किये जाने,
41. खुनीगाड़ सरास मोटर मार्ग डामरीकरण किये जाने,
42. समरोड़ से जापूड़ मोटर मार्ग का किये जाने,
43. बागी मोताड़ रोड़ डामरीकरण किये जाने,
44. दोला मसरी मोटर मार्ग डामरीकरण किये जाने,
45. दोला बरी मोटर मार्ग का निर्माण किये जाने,
46. नैटवाड़ भितरी मोटर मार्ग चौड़ीकरण व डामरीकरण किये जाने,
47. आराकोट थुनारा मोटर मार्ग निर्माण कार्य किये जाने,
48. खुनीगाड़ से शकरीयाना टडियार मोटर मार्ग का निर्माण किये जाने,

5. श्री प्रीतम सिंह पंवार — प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाएः-

किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने भाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया हैः-

1. उत्तराखण्ड की स्थायी राजधानी गैरसैंण को घोषित करने,
2. उत्तराखण्ड के पर्वतीय क्षेत्रों में बड़े उघोग स्थापित करने के लिए अलग से नीति बनाने व रियासत देने,
3. उत्तराखण्ड के पर्वतीय क्षेत्रों के सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों में आधुनिक चिकित्सा उपकरणों सहित चिकित्सा शिविर एवं मोबाइल चिकित्सा वाहन के जरिए निश्चित तिथियों को चिकित्या सुविधा प्रदान करने,
4. उत्तराखण्ड के पर्वतीय क्षेत्रों में बहने वाली छोटी-बड़ी नदियों के किनारे बसे गावों को पेयजल व सिंचाई व सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के लिए लिफ्ट योजनाओं का निर्माण करने,
5. प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं मे मृतकों के परिजनों व घायलों को पूरे राज्य में अलग-अलग सहायता उपलब्ध कराये जाने के बजाय एक समान सहायता देने,
6. उत्तराखण्ड के सीमान्त जनपदों में निवास करने वाले बाहरी व्यक्तियों का पुलिस सत्यापन पत्र जारी करने,
7. पर्वतीय क्षेत्रों मे औषधीय गुणों से परिपूर्ण मुख्य फसलों व फलों का समर्थन मूल्य निर्धारित करने,
8. प्रदेश के चारधामों यथा यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ व बद्रीनाथ के विकास के लिए पृथक से बेजट में प्राविधान करने,
9. पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राज्य में स्थित धार्मिक व पर्यटक स्थलों तथा पौराणिक मन्दिरों को चिन्हित कर उनके विकास व संरक्षण के लिए कार्य योजना बनाने ,

10. पर्यटन को बढ़ावा देने एवं संस्कृति संरक्षण के लिए आयोजित होने वाले मेलों को एक समान अनुदान देने ,

11. देश के सीमाओं में शहीद होने वाले सैनिकों के स्मारक जनपद मुख्यालयों में बनाने एवं विद्यालयों एवं सड़कों के नाम पर उनकी स्मृति में रखने,

12. गेस्ट टीचरों को नियमित करने,

13. आंगनबाड़ी कार्यकत्री /आशा कार्यकत्री /भोजनमाताओं तथा ग्राम प्रहरियों के मानदेय बढ़ाने,

14. एस0 एस0 बी प्रशिक्षित गुरिल्लों को सरकारी सेवाओं में आरक्षण दिलाने,

15. चिन्हित उत्तराखण्ड राज्य आंदोलनकारियों एवं आश्रितों को सरकारी सेवाओं में आरक्षण दिलाने,

16. टिहरी बांध झील से प्रभावित गांवों की समस्याओं के निराकरण करने,

17. राज्य की क्षतिग्रस्त सिचाई तथा पेयजल योजनाओं के पुर्ननिर्माण करने,

18. विधान सभा क्षेत्र धनोल्टी के वि0ख0 थौलसार , के नकोट-धमाडी में पेयजल योजना कार्य निर्माण करने ,

19. दैवीय आपदा से .क्षतिग्रस्त परिसम्पतियों जिनका पुर्ननिर्माण नहीं हो पाया उनके पुर्ननिर्माण हेतु धनराशि उपल्बध कराने तथा मानकों में आवश्यक शिथिलता प्रदान करने ,

20. उत्तराखण्ड राज्य के बेरोजगारों युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए ठोस रोजगार नीति बनाने,

21. राज्य के पर्वतीय जनपदों में भी अद्योगों की स्थापना करने,

22. राज्य के महिलाओं के उत्थान हेतु योजना बनाने ,

23. राज्य में स्वजल परियोजना को यथावत रखने,

24. राज्य में विभिन्न विभागों में कार्यरत आउट सोर्स कार्मिकों को समान वेतन दिये जाने,

25. जनपद टिहरी गढ़वाल के विकासखंड मुख्यालय थत्यूड़ (जौनपुर)में केन्द्रीय विद्यालय खोलन,

26. जनपद टिहरी गढ़वाल के विकासखण्ड मुख्यालय थत्यूड़ (जौनपुर) तथा थौलाधार में मिनी स्टेडियम बनाने ,

27. विधान सभा धनोल्टी -मोरियाणा ,देवलसारी ,नागटिब्बा व मसूरी खट्टा पानी को पर्यटन सर्किट घोषित करने ,

28. विधानसभा क्षेत्र धनोल्टी के थत्यूड़ नैनबाग तथा कण्डीसौड़ ,कमान्द में मिनी सब्जी मण्डियों की स्थापना करनेश

29. जनपद टिहरी गढ़वाल के राजकीय महाविद्यालय कमान्द में भवन निर्माण करने तथा स्वीकृत रिक्त पदों पर प्रवक्ताओं के पदों को भरने,
30. विधानसभा क्षेत्र धनोल्टी के अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र ,भवन निर्माण करने,
31. विधान सभा .क्षेत्र धनोल्टी के सभी चिकित्सालयों में चिकित्सक वा फार्मेसिस्टों के रिक्त पदों को भरने ,
32. विधान सभा क्षेत्र धनोल्टी से मेरियाणा तक मोटर मार्ग को वन विभाग से निर्माण विभाग में परिवर्तन कर निर्माण करने,
33. विधान सभा क्षेत्र धनोल्टी के भवान-गवाणा -डामणी मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य 24 मी0 स्पान व 36 मी0 स्पान स्टील गार्डर सेतु सहित निर्माण करने,
34. विधान सभा क्षेत्र धनोल्टी के विकासखण्ड जौनपुर में छ्नाणगांव के भीमलकी चलोटी में क्षतिग्रस्त 90 मी0 पैदल झूला पुल का निर्माण करने,
35. विधान सभा क्षेत्र धनोल्टी के वि0ख0 जौनपुर के ग्राम सभा खट्ट् से मोलखेत मोटर मार्ग का नवनिर्माण कार्य करने,
36. विधान सभा क्षेत्र धनोल्टी के वि0ख0 जौनपुर के मखडेत-मथलाऊ मोटर मार्ग के कि0मी0 3 में मिसिंग लौह सेतु व ग्राम बैट तक मोटर मार्ग का सुधारीकरण (द्वितीय चरण) कार्य करने,
37. विधान सभा क्षेत्र धनोल्टी के वि0ख0 जौनपुर के साटागाड बैण्ड से फेडी किमोड़ा तक मोटर मार्ग निर्माण कार्य करने,
38. विधान सभा क्षेत्र धनोल्टी के वि0ख0 जौनपुर में मसोन-काण्ड़ी-द्वारगढ़ हल्का वाहन मोटर मार्ग का मोटर मार्ग में परिवर्तन एवं डामरीकरण (द्वितीय चरण) कार्य करने,
39. विधान सभा क्षेत्र धनोल्टी के वि0ख0 जौनपुर के सूल्वाणी राजखिल मंजगांव हल्का मोटर मार्ग का मोटर मार्ग में परिवर्तन (द्वितीय चरण) कार्य करने,
40. विधान सभा क्षेत्र धनोल्टी के वि0ख0 थौलधार के मैण्डखाल से गैर-नगुण मोटर मार्ग का डामरीकरण कार्य करने,
41. विधान सभा क्षेत्र धनोल्टी के वि0ख0 जौनपुर के भवान-साटागाड मोटर मार्ग का डामरीकरण (प्रथम चरण) कार्य करने,
42. विधान सभा क्षेत्र धनोल्टी के वि0ख0 जौनपुर के अन्तर्गत श्रापुर मथेट मय नारायणगांव, ल्वारखा धौलगिरी तक मोटर मार्ग का (द्वितीय चरण) निर्माण करने,
43. विधान सभा क्षेत्र धनोल्टी के अन्तर्गत अगिण्डा से धिन्न तक मोटर मार्ग का द्वितीय चरण कार्य करने,

44. विधान सभा क्षेत्र धनोल्टी के अन्तर्गत गरखेत से ठल तक मोटर मार्ग निर्माण (द्वितीय चरण) कार्य करने,
45. विधान सभा क्षेत्र धनोल्टी के अन्तर्गत मुन्दणी से ऐरी तक मोटर मार्ग निर्माण (द्वितीय चरण) कार्य करने,
46. विधान सभा क्षेत्र धनोल्टी के वि0ख0 थौलधार के गैर से कौगी, कौगी से खाद तक मोटर मार्ग (द्वितीय चरण) कार्य करने,
47. विधान सभा क्षेत्र धनोल्टी के के वि0ख0 जौनपुर के विद्यालय बाण्डाचक-घुत्तु बैण्ड से डामरी मथलाऊ तक मोटर मार्ग का नव निर्माण (द्वितीय चरण) कार्य करने,
48. विधान सभा क्षेत्र धनोल्टी के वि0ख0 जौनपुर के घण्डियाला से सरताली तक मोटर मार्ग का नव निर्माण (द्वितीय चरण) कार्य करने,
49. विधान सभा क्षेत्र धनोल्टी के वि0ख0 थौलधार के अर्न्तगत चम्बा-धरासू के अर्न्तगत कि0मी0 64 से सैनमारी-नवागांव-मंजाकोट मोटर मार्ग क अवशेष भाग (द्वितीय चरण) का निर्माण करने,
50. विधान सभा क्षेत्र धनोल्टी के वि.ख. थौलधार के उनियालगांव से सरोट तक मोटर मार्ग (द्वितीय चरण) का निर्माण करने,
51. विधान सभा क्षेत्र धनोल्टी के वि.ख. जौनपुर के अन्तर्गत रायपुर कुमाल्डा, कद्दूखाल के कि.मी. 35 से सर्तेगल मोटर मार्ग (द्वितीय चरण) का निर्माण करने,
52. विधान सभा क्षेत्र धनोल्टी के अन्तर्गत सुवाखोली से क्यारा होते रायपुर तक मोटर मार्ग नव निर्माण कार्य करने,
53. विधान सभा क्षेत्र धनोल्टी के अन्तर्गत वि.ख. थौलधार के लालूरी घियाकोट क्यार्दा की चली तक मिसिंग लिंक मोटर मार्ग का द्वितीय चरण कार्य करने,
54. विधान सभा क्षेत्र धनोल्टी के अन्तर्गत वि.ख. थौलधार मैण्डखाल से गैर नगुण के मोटर मार्ग के लवाणी से गाफर तक मोटर मार्ग निर्माण (द्वितीय चरण) का कार्य करने,

55- विधान सभा क्षेत्र धनोल्टी के अन्तर्गत मैण्डखाल से खाद, साबली (जौनपुर) मोटर मार्ग एवं अलमस-भवन-नगुण मोटर मार्ग के मध्य मिसिंग लिंक मोटर मार्ग (द्वितीय चरण) का निर्माण करने,

56- विधान सभा क्षेत्र धनोल्टी के कैम्पटी -थत्यूड़ मोटर मार्ग के अवशेष भाग का निर्माण करने,

57- विधान सभा क्षेत्र धनौल्टी के कैम्पटी-चडोगी हल्का वाहन का मोटर मार्ग में परिवर्तन एवं डामरीकरण कार्य करने,

58- विधान सभा क्षेत्र धनौल्टी के तौलियाकाटल क सौन्दाणा ग्राम मे सौंग नदी पर 62 मी0 पुल निर्माण कार्य करने,

59- विधान सभा क्षेत्र धनौल्टी के ग्राम फिड़ोगी के ग्राम बुरांश खण्डा से आलूवक के चलीधार, पत्थर खल जवाला, मानीधार होते हुए बन्दरी तोक तक मोटर मार्ग का नव निर्माण (द्वितीय चरण) का निर्माण करने,

60- विधान सभा क्षेत्र धनोल्टी के वि0ख0 जौनपुर के दुबड़ी से रगड़गांव तक मोटर मार्ग निर्माण कार्य करने,

61- विधानसभा क्षेत्र धनोल्टी के वि0ख जौनपुर के दुधली से डिबोगी तक मोटर मार्ग का डामरीकरण का कार्य करने,

62- विधान सभा क्षेत्र धनोल्टी के वि.ख. थौलधार में बग्यिाल से जुखाडी तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य करने,

63- विधान सभा क्षेत्र धनोल्टी के वि.ख. जौनपुर में कैम्पटी फाल के निकट मोटर पार्किंग हेतु मोटर मार्ग का चौडीकरण एवं सुरक्षा दिवार निर्माण (द्वितीय चरण) का कार्य करने,

64- विधान सभा क्षेत्र धनोल्टी के वि.ख. थौलधार क अर्न्तगत घुघती द्धुगा धमाडी मोटर मार्ग का सुधार एवं डामरीकरण कार्य करने,

65- विधान सभा क्षेत्र धनोल्टी के वि.ख. थौलधार लेंगर्थ से भोंगर गांव तक मोटर मार्ग का निर्माण करने।

66- विधान सभा क्षेत्र धनोल्टी के वि.ख. जौनपुर के अर्न्तगत गोंठ में क्यारा से गोंठ झालकी होते हुए धनोल्टी तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य करने।

67- विधान सभा क्षेत्र धनोल्टी के वि.ख. जौनपुर के हटवाल गांव के आन्नद चौक तक पंम्पिग पेयजल योजना का निर्माण करने।

68- विधान सभा क्षेत्र धनोल्टी के वि.ख. जौनपुर के हटवाल गांव से बनाली तक पंम्पिग पेयजल योजना का निर्माण करने।

69- विधान सभा क्षेत्र धनोल्टी के वि.ख. जौनपुर के अलगाड नदी से काण्डी तक पंम्पिग पेयजल योजना का निर्माण करने।

70- विधान सभा क्षेत्र धनोल्टी के वि.ख. जौनपुर टरू एवं खाद में पंम्पिग पेयजल योजना का निर्माण करने।

71- विधान सभा क्षेत्र धनोल्टी के वि.ख. जौनपुर में भवान, स्यालसी व गोरण हेतु पंम्पिग पेयजल योजना का निर्माण किये जाने।

72- विधान सभा क्षेत्र धनोल्टी के वि.ख. जौनपुर रा0इ0का0 आन्नद चौक, मरोडा, रैतु की बेली, नकुरची, मथलाऊ, सडभ क्यारी, दौंक, वि.ख. थौलधार के गैर (नगुण), क्यारी नगुण, बाण्डा व वि. ख. चम्बा के बनाली में भवन निर्माण किये जाने।

73- विधान सभा क्षेत्र धनोल्टी के वि.ख. जौनपुर के रा.उ.मा.वि. सेलवाडी, कुमाल्डा, थान, नौघर, साटागाड़, भटोली, लैदूर, भालकीमाण्डे, भुटगांव, चामारासी, रणोगी तथा परोगी का भवन निर्माण किये जाने।

74- विधान सभा क्षेत्र धनोल्टी के वि.ख. जौनपुर के भावान, कैम्पटी वि.ख. जौनपुर के भावान, कैम्पटी वि.ख. थौलधार के मैण्डखाल में पशु चिकित्सालय भवन का निर्माण किये जाने।

75- विधान सभा क्षेत्र धनोल्टी के वि.ख. जौनपुर के कण्डालगांव, रगड़गांव, गोठ, शीर्ष व वि.ख. थौलधार के डडोली, नेरी, मंजकोट (नगुण) के पशु सेवा केन्द्रों का भवन निर्माण किये जाने।

76- विधान सभा क्षेत्र धनोल्टी के वि.ख. थौलधार के अन्य पिछड़ा वर्ग गंगाड़ी समुदाय को केन्द्रीय सूची में सम्मिलित किये जाने।

77- प्रदेश में स्थापित होने वाले छोटे बड़े औद्योगिक प्रतिष्ठानों मे प्रदेश के ही शिक्षित बेरोजगारों को योग्यता के आधार पर नियुक्त किये जाने।

78- विधान सभा क्षेत्र धनोल्टी अध्यापक विहिन हाई स्कूल एवं इण्टर कालेजों में तथा महाविद्यालयों मे अध्यापकों की तैनाती किये जाने।

79- विधान सभा क्षेत्र धनोल्टी के धनोल्टी-मोरियाणा, देवलसारी, नागटिब्बा तक जाने हेतु सुदृढ़ ट्रेक मार्गों तथा विश्रामालयों का निर्माण किये जाने।

80- विधान सभा क्षेत्र धनोल्टी के धनोल्टी के वन भूमि हस्तान्तरण प्रक्रिया में लम्बित प्रकरणों का यथाशीघ्र निस्तान्तरण किये जाने।

81- विधान सभा क्षेत्र धनोल्टी के चम्बा-जड़ी पानी, काण्डाताल धनोल्टी को नवीन तकनीकि रूप से फल पट्टी विकसित किये जाने।

82- विधान सभा क्षेत्र धनोल्टी के कण्डीसौड़ (थौलधार) तथा थत्यूड़ (जौनपुर) में राजकीय पालिटैक्निक की स्थापना किये जाने।

83- विधान सभा क्षेत्र धनोल्टी के वि.ख. जौनपुर के अलगाड नदी तथा सौंग नदी (सकलाना क्षेत्र) के आस-पास बस्तियों एवं गावों मे बाढ़ सुरक्षा कार्य किये जाने।

84- विधान सभा क्षेत्र धनोल्टी के वि.ख. जौनपुर के भवान, थत्यूड़ पन्तवाड़ी व वि.ख. थौलधार के कमान्द मे खेलों के प्रोत्साहन हेतु खेल मैदानों का निर्माण किये जाने।

85- विधान सभा क्षेत्र धनोल्टी के वि.ख. थौलधार के कण्डीसौड़ में वि. ख. चिन्यालीसौड़ (उत्तरकाशी) के गावों को जोड़ने हेतु झूला पुल का निर्माण किये जाने।

86- राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों के गावों में निवासरत् लोगों के द्वारा हो रहे लगातार पलायन रोकने हेतु ठोस नीति बनाने।

87- चारधाम यात्रा मार्गो पर तीर्थ यात्रियों तथा श्रद्धालुओं की सुविधा हेतु विशेष कार्ययोजना बनाने।

88- राज्य के औद्योनिकी को आर्थिकी व रोजगार से जोड़ने के लिए कार्ययोजना व नीति बनाने।

89- राज्य की महिलाओं के उत्थान हेतु योजना बनाये जाने।

90- विधान सभा क्षेत्र धनोल्टी के अर्न्तगत दैवीय आपदा से क्षतिग्रस्त अगलाड नदी पर बहे खेतों का पुर्ननिर्माण करने तथा बाढ़ नियन्त्रण योजनान्तर्गमत सुरक्षात्मक कार्य किये जाने।

91- राज्य में होम स्टे योजना में सरलीकरण किये जाने।

92- विधान सभा क्षेत्र धनोल्टी के अर्न्तगत विद्युत सुविधा से वंचित गांवों/तोकों में विद्युतीकरण किये जाने।

93- विधान सभा क्षेत्र धनोल्टी के अर्न्तगत म्याणी (जाखधार), रौतु की बेल, मोरियाणा, बनाली (चम्बा), में बी0एस0एन0एल0 मोबाइल टावर स्थापित किये जाने।

94- विधान सभा क्षेत्र धनोल्टी के अर्न्तगत भवान-नगुण मोटर मार्ग में स्थित ग्राम रौतू की बेली के समीप स्थापित बस्तियों में पेयजल योजना कार्य किये जाने।

95- विधान सभा क्षेत्र धनोल्टी के वि.ख. जौनपुर के अन्तर्गत अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्राम थत्यूड़, साटागाड (बान्सी), मूलगढ़ टिकरी (ढकरौल) सोठियालगांव, श्रीपुर (भरूवाकाटल) तथा वि.ख. थौलधार के अर्न्तगत ल्वारखा (थौलधार), स्यांसू, खाण्ड, डोबन, क्यारी (गुसाई) में बारात घर निर्माण किये जाने।

96- विधान सभा क्षेत्र धनोल्टी के वि.ख. जौनपुर के सत्यों (पुजारगांव) में राजकीय महाविद्यालय हेतु वित्तीय स्वीकृत किये जाने।

97- विधान सभा क्षेत्र धनोल्टी के वि.ख. जौनपुर के मरोडा (सकलाना) मे राजकीय औद्योगित प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना किये जाने।

98- विधान सभा क्षेत्र धनोल्टी के वि.ख. जौनपुर के नैनबाग तथा वि. ख. थौलधार के कण्डीसौड मे तहसील के भवनों का निर्माण कार्य किये जाने।

99- विधान सभा क्षेत्र धनोल्टी के वि.ख. जौनपुर के बग्यिाल व गरखेत मे राष्ट्रीयकृत बैंक साखा खोलने।

100- विधान सभा क्षेत्र धनोल्टी के प्रसिद्व पर्यटक स्थल धनोल्टी, भवान तथा कमान्द, मैण्डखाल में पर्यटकों व क्षेत्रीय जनता की सुविधा हेतु ए0टी0एम0 सुविधा उपलब्ध किये जाने।

101- राज्य के महिला मंगल दलों तथा युवक मंगल दलों के प्रोत्साहन हेतु सहायता दिये जाने।

102- नये जिलों का सृजन किए जाने।

6. श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाएः-

किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने भाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है:-

1. जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र जागेश्वर के अंतर्गत हरि प्रसाद टम्टा शिल्प उन्नयन संस्थान स्वीकृत किये जाने के फलस्वरूप भी 100 करोड़ की योजना थी, जिसमें लगभग दो करोड़ की धनराशि खर्च होने का उल्लेख,
2. जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र जागेश्वर में चायखान खेल मैदान को स्टेडियम के रूप में परिवर्तित किये जाने,
3. जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र जागेश्वर में लमगड़ा-षहरफाटक के मार्ग के डोल से डोल आश्रम तक रोपवे बनाये जाने,
4. जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र जागेष्वर के डोल आश्रम में संग्रहालय बनाये जाने,
5. जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र जागेष्वर के गुरुड़ाबांज खेल मैदान को स्टेडियम के रूप में परिवर्तित किये जाने,
6. जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र जागेष्वर के बी0सी0 जोशी राजकीय कन्या महाविद्यालय, दन्या में विशय सहित पदों का सृजन किया जाना,
7. जनपद अल्मोड़ा विधान सभा क्षेत्र जागेष्वर में जैंती-चायखान -सत्यों-ध्याड़ी-बाराकूना में हैलीपैड बनाये जाने,
8. जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र जागेश्वर में लमगड़ा तहसील भवन बनाये जाने,
9. जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र जागेश्वर के विकासखण्ड धौलादेवी के चामी में स्वास्थ्य केन्द्र बनाये जाने,
10. उत्तराखण्ड के बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दिये जाने,
11. अल्मोड़ा के पौद्यार (बनड़ी देवी मंदिर) रोपवे बनाये जाने,
12. जागेश्वर से वृद्ध जागेष्वर एवं झांकरसैंन मंदिर तक रोपवे बनाये जाने,

13. जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र जागेष्वर के राजकीय हाईस्कूल खांकर का इंटरमीडिएट तक उच्चीकरण किये जाने

14. जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र जागेष्वर के राजकीय हाईस्कूल ध्यूलीधौनी का इंटरमीडिएट तक उच्चीकरण किये जाने के सम्बन्ध में,

15. जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र जागेश्वर में आई0टी0आई0 नैंणी व आई0टी0आई0 विसौत के भवनों का निर्माण किये जाने,

7. श्रीमती ममता राकेश   प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाए:-
किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने भाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है:-

1. जनपद हरिद्वार के भगवानपुर विधान सभा क्षेत्र में प्रस्तावित मेडिकल कालेज का निर्माण किये जाने,
2. जनपद हरिद्वार के भगवानपुर विधान सभा क्षेत्र में पूर्व में प्रस्तावित तहसील भवन का निर्माण किये जाने,
3. जनपद हरिद्वार के भगवानपुर विधान सभा क्षेत्र में प्रस्तावित मॉडल बस अड्डे का निर्माण किये जाने,
4. स्व0 श्री सुरेन्द्र राकेष आवासीय विद्यालय का भवन निर्माण किये जाने,
5. एम0एस0बी0वाई0 उत्तराखण्ड प्रदेश में प्रभावी नहीं है, गरीब बिना इलाज के मर रहा है इस बारे में कोई प्रभावी योजना का,
6. खेलों को बढ़ावा देना, खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रत्येक जनपद में ब्लाक स्तर पर मिनी स्टेडियम का निर्माण किये जाने,
7. ब्लाक स्तर पर योग को बढ़ावा देना एवं योग केन्द्र खोले जाने,
8. महिलाओं के लिए महिला वर्किंग हास्टल का निर्माण किये जाने,
9. जनपद हरिद्वार के भगवानपुर विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत डाक्टरों की नियुक्ति एवं स्त्री रोग विशेषज्ञों की नियुक्ति किये जाने,
10. अनुसूचित जाति उपयोजना के बजट में एम0एस0डी0पी0 व एस0सी0ई0पी0 बजट के मानक निर्धारण व बजट खर्च किये जाने,
11. जनपद हरिद्वार के भगवानपुर विधान सभा औद्योगिक क्षेत्र में ट्रांसपोर्ट नगर बनाये जाने,

12. जनपद हरिद्वार के भगवानपुर विधान सभा औद्योगिक क्षेत्र में सीवरेज प्लांट लगाये जाने,
13. राज्य योजना के अंतर्गत 2017 की सड़कों को बनाये जाने,
14. जनपद हरिद्वार के भगवानपुर विधान सभा क्षेत्र की पेयजल योजनाओं को पूरा किये जाने,
15. जनपद हरिद्वार के भगवानपुर विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत यातायात के मध्य लगने वाले जाम से निजात दिलाये जाने,
16. सड़क के किनारे बिना आई0एस0आई0 मार्का के हैलमैटों की बिक्री पर रोक के सम्बन्ध में,
17. प्रदेश में भूकम्परोधी यंत्र लगाये जाने के सम्बन्ध में,
18. प्रदेश में गन्ना किसानों की कर्जमाफी का पैसा वर्तमान समय तक दिये जाने,
19. जनपद हरिद्वार के भगवानपुर विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत राजकीय महिला पालिटैक्निक की स्थापना किये जाने,
20. कक्षा 12 पास अनुसूचित जाति के छात्र-छात्राओं को लैपटाप वितरण किये जाने,
21. स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के नाम पर छात्रवृत्ति योजना आरम्भ किये जाने व सड़कों का नाम स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के नाम पर रखे जाने।

8. श्री फुरकान अहमद — प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाए:-

किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने भाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है:-

1. मेरी विधान सभा क्षेत्र पिरान कलियर में यूनानी मेडिकल कालेज का निर्माण किये जाने,
2. रामपुर मण्डी से पिरान कलियर को होते हुए हरिद्वार तक सड़क व सोलानी नदी का पुल का निर्माण, बाईपास का निर्माण किये जाने,
3. पिरान कलियर नई नहर पुल का निर्माण किये जाने,
4. पाडली गुज्जर तेल्लीवाले के पास रेलवे लाईन पर पुल निर्माण किये जाने,

5. विधान सभा क्षेत्र पिरान कलियर या मेहवड़ में स्टेडियम का निर्माण किये जाने,
6. पिरान कलियर पर पानी की टंकी व पाईप लाईन का निर्माण किये जाने।

9. श्री हरीश सिंह

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाए:-

किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने भाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है:-

1. आपदाग्रस्त क्षेत्र धारचूला विधान सभा के दारमा, चौदास, व्यास, मिलम, रालम, नामित, मल्ला जोहार के जिन क्षेत्रों में पूर्ववर्ती सरकार द्वारा बरसात में रियायती दरों पर हैली सेवा का संचालन किये जाने
2. मानसरोवर यात्रा को सुगम बनाये जाने,
3. धार्मिक स्थल छिपला केदार के पैदल मार्गों का उल्लेख, सेरा सिरतोला से छिपला केदार, गलाती से छिपला केदार, रांथी जुमा से छिपला केदार के निर्माण कराये जाने
4. धारचूला में मिनी स्टेडियम का निर्माण, धारचूला में आई0टी0आई0 भवन, नाचनी में आई0टी0आई0 भवन, जौलजीवी में आपदा केन्द्र स्थापित कराने
5. डीडीहाट जिले का निर्माण किये जाने,
6. छोटा कैलाश यात्रा के सम्बन्ध में ऐतिहासिक अंतर्राष्ट्रीय जौलजीवी मेले को राष्ट्रीय स्तर का बनाये जाने,
7. मुनस्यारी में आवारा पशु और जंगली जानवरों की रोकथाम किये जाने,
8. आपदाग्रस्त क्षेत्रों में डाक्टरों की नियुक्ति किये जाने,
9. धारचूला मुनस्यारी के पशु चिकित्सालयों में पशु चिकित्सकों की नियुक्ति किये जाने,
10. पर्वतीय क्षेत्रों में छोटे-छोटे विकासखण्डों का भारत सरकार को प्रस्ताव भेजे जाने,
11. मुनस्यारी में मिनी स्टेडियम बनाये जाने,
12. चारधाम यात्रा की तर्ज पर पिथौरागढ़ जिले के धार्मिक स्थलों-कैलाश मानसरोवर, छोटा कैलाश यात्रा को विकसित किया जाना
13. पिथौरागढ़-दिल्ली, पिथौरागढ़-देहरादून हवाई सेवा चालू किया जाना
14. विधान सभा क्षेत्र धारचूला के दूरस्थ क्षेत्र कनार के लिए सड़क निर्माण किये जाने,
15. विधान सभा क्षेत्र धारचुला के कांडा, लेख, थौड़ा मोटर मार्गो के निर्माण किये जाने,
16. विधानसभा क्षेत्र धारचूला के समस्त इंटर कालेजों में रिक्त पड़े प्रधानाध्यापकों व प्रवक्ताओं के पदों पर नियुक्ति किये जाने,
17. विधानसभा क्षेत्र धारचूला के समस्त चिकित्सालयों में डाक्टरों की नियुक्ति किये जाने,
18. विधानसभा क्षेत्र धारचूला में पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा स्वीकृत सड़कों का कार्य प्रारंभ किये जाने,

19. संचार के इस युग में आज भी विधानसभा क्षेत्र धारचूला के 60 प्रतिशत क्षेत्र को संचार व्यवस्था से जोड़ना के सम्बन्ध में किसी बात का जिक किये जाने,

20. विधानसभा क्षेत्र धारचूला के तहसील मुनस्यारी के नया बस्ती के लोगों को हरि ग्राम के नाम पर भूमि का मालिकाना हक प्रदान किये जाने,

21. विधानसभा क्षेत्र धारचूला में आपदा से हुई भवनों, पशु, फसल व भूमि के नुकसान के मुआवजा दिये जाने,

22. विधानसभा क्षेत्र धारचूला के समस्त पर्यटन क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किसी भी बात का उल्लेख किये जाने,

23. विधानसभा क्षेत्र धारचूला में नवसृजित तहसील बंगापानी व तेजम तहसील के भवन निर्माण सम्बन्धी किसी भी बात का जिक किये जाने,

24. विधानसभा क्षेत्र धारचूला में आपदा से क्षतिग्रस्त हुए समस्त इंटर कलेजों व प्राइमरी स्कुलों के भवनों का नव निर्माण किये जाने,

25. विधानसभा क्षेत्र धारचूला आपदा से क्षतिग्रस्त हुए क्षेत्रों में तटबन्धों का निर्माण किये जाने,

26. विधानसभा क्षेत्र धारचूला के नगर पंचायत धारचूला में ग्वाल गांव व धारचूला में सीवर लाइन का निर्माण किये जाने,

27. विधानसभा क्षेत्र धारचूला में टी0आर0सी0 मुनस्यारी व टी0आर0सी0 बिर्थी में निर्माणधीन भवन के लिए अगिम बजट की कोई घोषणा किये जाने,

28. विधानसभा क्षेत्र धारचूला व मुनस्यारी में स्टेडियम के निर्माण किये जाने,

29. विधानसभा क्षेत्र धारचूला में माह अगस्त, 2017 को तहसील धारचूला में आई आपदा में घटिया बगड़, मांगति, सिमखोला, नजंगगाड़ में व्यापक तबाही हुई। आपदा से जनहानि के साथ-साथ समस्त स्थानों पर निर्मित पक्के पुल बह गए। यह क्षेत्र कैलाश मानसरोवर यात्रा मार्ग पर स्थित होने एवं सामरिक एवं स्थानीय जनजातियों द्वारा ऋतु प्रवास में उपयोग किए जाने वाले एक मात्र पैदल मार्ग, बहे हुए पुलों के पुर्न निर्माण एवं ठीक कराये जाने के सम्बन्ध में अभिभाषण में कोई जिक किये जाने,

30. धारचूला विधान सभा क्षेत्र में पूर्व में इनर लाईन (नोटिफाइड एरिया) तहसील धारचूला के जौलजीवी में निर्धारित था, जिसे हटाकर नेपाल-चीन सीमा पर स्थित छियालेख कर दिया। उस सीमान्त क्षेत्र में सुरक्षा की सामरिक दृष्टिकोण से अवांछित गतिविधियों की रोकथाम हेतु पुनः लाईन (नोटिफाइड एरिया) जौलजीवी किये जाने,

31. विधानसभा क्षेत्र धारचूला के तहसील धारचूला के नगर पंचायत धारचूला में स्थानीय निवासियों द्वारा शीतकाल में ऋतु प्रवास करने एवं ग्रीष्मकाल में मानसरोवर यात्रा के प्रारम्भ होने और भारत-नेपाल के लोगों द्वारा अत्यधिक आवागमन होने के कारण नगर पंचायत धारचूला में वाहनों का अत्यधिक आवागमन होने एवं आपदा की स्थिति बचाव सामाग्री/आवश्यक स्थल उपलब्ध न होने के

कारण समस्या की स्थिति से निदान पाने के लिए नगर क्षेत्र में पार्किंग स्थल बनाये जाने,

10. श्री करन माहरा प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाए:-

किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने भाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है:-

1. रानीखेत गोविन्द सिंह महरा नागरिक चिकित्सालय 200 बैड का शासनादेश होने के बावजूद भी आज तक वहां पर डाक्टरों की नियुक्ति व सुविधाएं प्रदान किये जाने,
2. रानीखेत में पूर्ववर्ती सरकार द्वारा कैबिनेट में स्वीकृत स्टेडियम का निर्माण शीघ्र किये जाने,
3. रानीखेत चिलियानौला रोपवे का निर्माण किये जाने,
4. जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र रानीखेत के अंतर्गत भुजान-रानीखेत पेयजल पम्पिंग योजना का निर्माण किये जाने,
5. रानीखेत विधान सभा क्षेत्र में भतरौजखान चिकित्सालय का उच्चीकरण एवं चिकित्सकों की नियुक्ति किये जाने,
6. रानीखेत को जिला बनाये जाने,
7. विधान सभा क्षेत्र रानीखेत के अंतर्गत देवीधूरा पम्पिंग योजना के स्रोत के निकट डैम का निर्माण किये जाने,
8. रानीखेत विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत महिला पालिटैक्निक खोले जाने,
9. रानीखेत विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत आई0टी0आई0 चिलियानौला के उच्चीकरण एवं भवन निर्माण किये जाने,
10. प्रदेश में रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए कोई स्पष्ट नीति बनाये जाने
11. रानीखेत में स्टेडियम का निर्माण किये जाने,